2018

1. 'अतीत' मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है (*दर्शन*)
2. एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है (*दर्शन*)
3. कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है (*अर्थव्यवस्था*)
4. जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें (*पर्यावरण*)
5. जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है (*समाज*)
6. भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन–एक जटिल कार्य (*राजनीति*)
7. यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, बल्कि उसकी पुष्टि करता है (*दर्शन*)
8. रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती (*समाज*)

'अतीत' मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है

दर्शन

मनुष्य के पास एक ऐसी विशेषता है, जिसकी वजह से मनुष्य समाज में ऊंचा उठता है तथा अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध कर सकता है, उन्हें समझ सकता हैं तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति रखता है, जिस का नाम है–चेतना। चेतना ही मनुष्य का शक्तिशाली गुण है, जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में बोध कराता है। यदि मनुष्य की चेतना अपने अतीत से स्वतंत्र तथा भविष्य से आजाद होती तो उसका एहसास बहुत कम समय के लिए होता। चेतना का सीधा संबंध मनुष्य की इंद्रियों से होता है और मनुष्य में एक गुण है जो उसे अन्य जीवधारियों से अलग करता है, वह है–स्मरण क्षमता। मनुष्य अपने वर्तमान, भूतकाल एवं भविष्य काल में जीने की कला जानता है, जो उसे जीवित रखती है। वही मूल्य का तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है, जिसके द्वारा मनुष्य की किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति होती है। मूल्य किसी भी समाज के प्रमुख तत्व होते हैं, इन्हीं के आधार पर कोई भी समाज उन्नति या अवनति या परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। अतीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानवीय चेतना तथा मूल्य अपनी दिशा निर्धारित करते हैं।

मानवीय चेतना और मूल्य हमेशा गतिशील होते हैं। मानव जिस समाज में भी रहता है, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए अपने मूल्य निर्धारित करता है। इन सब को करने के लिए उसे उस समाज की या उस क्षेत्र की समझ उसकी बहुत सहायता करती है, ऐसे में उस समाज के अतीत का समृद्ध अनुभव उसके मूल्यों को और भी अधिक धनवान बना देता है। कोई भी व्यक्ति अकेले सिर्फ चेतना के साथ नहीं जी सकता। वह अपने अतीत के साथ वर्तमान की तुलना करके यह जान सकता है कि उसका आनेवाला भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मनुष्य की चेतना भौतिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़कर ही सक्रिय होती है और किसी भी समाज का अतीत इतिहास की श्रेणी में तभी आता है जब हम उसकी संस्कृति और मूल्य से परिचित कराते हैं।

जितना भी विकास अतीत से लेकर वर्तमान तक मानव सभ्यता का हुआ है, वह सब उसके अतीत के स्मरण करने की क्षमता का परिणाम है। मनुष्य ने अपनी स्मरण क्षमता के आधार पर अपने अतीत से इतना अधिक सिखा है कि उसने अपने अतीत को वर्तमान से जोड़कर अपने भविष्य तक का निर्धारण कर लिया है। मनुष्य के पास यह क्षमता है कि वह अपने

बीते हुए कल को याद रख सकता है, उन बीते हुए अनुभवों के आधार पर सीख सकता है तथा फिर उसकी तुलना वर्तमान से करके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है। इस प्रक्रिया में गलती होने के अवसर लगभग खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार अतीत एक आयाम की तरह कार्य करता है।

अतीत शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है क्योंकि इतिहास बड़े पैमाने पर अतीत का ज्ञान है क्योंकि यह बड़े रूप में वर्तमान जगत से लेकर संपूर्ण मानव विकास का बोध कराता है। अत: इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए स्मरण शक्ति का होना बेहद जरूरी होता है, इसके माध्यम से ही मनुष्य अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्मृति चेतना ही मनुष्य के अंदर किसी भी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करती है, इसीलिए अगर यह चेतना न होती तो अतीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता और न ही मानव मूल्यों का कोई विकल्प बच पाता। इसीलिए बुद्धि एवं विवेक से संपन्न व्यक्ति ही अधिक मूल्य सचेतन होता है। उसकी वैचारिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा, चेतनशील परवर्ती ही अन्य व्यक्तियों से अलग करती है।

मानवीय चेतना अतीत की तरफ ही क्यों देखती है, इससे उसे क्या लाभ होता है और उसके मूल्यों में क्या विकास होता है। अतीत तो बीत चुका न तो वह कभी वापस आ सकता और न ही उसमें कभी कोई परिवर्तन किया जा सकता। फिर भी चेतना अतीत के प्रति इतनी जिज्ञासा इसलिए रखती है क्योंकि अतीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वह सीख कर अपने मूल्यों को और अधिक बढ़ा सकती है और अपने भविष्य का अंदाजा अपने अतीत को वर्तमान से जोड़कर किया जा सकता है। अतीत को दो प्रकार से देखा जा सकता है एक तो वह जो बीत चुका है, अर्थात बीता हुआ अतीत तथा दूसरा वह जो वर्तमान में चल रहा है अर्थात जीवंत अतीत; इसका सीधा संबंध मानव समाज की उन परंपराओं तथा मूल्यों से होता है, जिसमें आज का वर्तमान तथा भविष्य निर्मित होता है।

मनुष्य ने अपनी सुविधा के हिसाब के लिए अतीत, वर्तमान तथा भविष्य काल इन्हें तीन कालों में विभाजित किया है। परंतु ये काल अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहां अतीत का संबंध बीती हुई घटनाओं से होता है, परंतु कहीं न कहीं इन बीती हुई घटनाओं का संबंध वर्तमान से भी जुड़ा होता है और इन्हीं संबंधों से मानव की स्मृति चेतना अपने अतीत से सीखती है और उनके प्रति जिज्ञासा पैदा करती है और इन सब को अपने वर्तमान से जोड़कर अपने भविष्य का निर्माण करती है।

लेकिन इतिहास को हमेशा याद रखना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि कई बार पुरानी चीजों को बार-बार दोहराया जा सकता है। इसीलिए इतिहास स्थायी आयाम प्रतीत होता है। मनुष्य अतीत का उत्पाद, उत्पादक एवं उपभोक्ता तीनों है। उसकी स्मृति चेतना से ही उसकी विचार, मूल्य चेतना का विकास होता है। मानव विवेक के संरक्षण तथा उसके सहचार्य में ही अतीत की घटनाएं अतीत की चेतना का आकार लेती है वह अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन तथा मूल्यांकन एक निर्माता के रूप में करता है तथा इसी रूप में उसकी सहज मूल्य चेतना तथा

मूल्यबोध की प्रभावी भूमिका होती है। इसलिए इतिहास चाहे कैसा भी हो, अगर उसमें अतीत का अध्ययन करते हैं तो अंतत: वह मूल्यों के रूप में सामने आता है। इसकी सभी क्रियाविधि में उसकी मूल्य चेतना ही प्रमुख शक्ति होती है जो उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। मनुष्य आदिमकाल से ही अपने अतीत से सीखता आया है। अपने अतीत से सीखते सीखते ही मनुष्य ने अपने चेतना व मूल्यों का विकास किया है। हमारे धार्मिक मूल्य भी अतीत से ही जुड़े हुए हैं। ये मूल्य मानव जीवन में आस्था को बढ़ाते रहे हैं। इन सब का पालन करते हुए मनुष्य ईश्वर की सेवा करता है। परंतु धार्मिक मूल्यों का रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ने का ज्यादा खतरा होता है जो कहीं न कहीं अतीत से जुड़ा होता है। इसके अनेक उदाहरण आज भी समाज में देखने को मिल जाते हैं। अतीत से धार्मिक रूढ़िवादिता को ज्यादा बढ़ावा मिला है क्योंकि अगर अतीत में जाकर देखे तो यह है ज्यादा प्रभावित रही है।

अत: अगर देखा जाए तो चेतना एवं मूल्य अतीत के परिवर्तित रूप हैं। ये मानव के इतिहास में पूर्णत घुले होते हैं। मूल्य चेतना हो, सांस्कृतिक चेतना हो या अतीत चेतना हो; यह सब अक्सर एक दूसरे से अलग प्रतीत होते हैं, परंतु अगर गहराई से देखा जाए तो यह एक दूसरे से पूर्णता जुड़े हुए हैं। अतीत निरंतर उच्च मूल्यों का निर्माण करते रहते हैं तथा साथ में इनका विकास भी करता रहता है। अतीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देता रहता है। अतीत से सीख कर ही हमारी चेतना और मूल्य अपना एक अलग स्थान रखते हैं।

एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है

दर्शन

प्रेम और ज्ञान एक अनूठा संयोजन है। प्रेम हृदय को दिव्य भावनाओं से भर देता है; और ज्ञान उन भावनाओं को सही रास्ते पर रखता है। हृदय में प्रेम और मस्तिष्क में ज्ञान का सही मिश्रण पुरुष या महिला को परिपूर्ण बनाता है। दुनिया के सभी व्यक्ति जिन्होंने इस संसार को रहने के लिए एक अधिक सुंदर स्थान बनाया है, वे प्यार और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। प्रेम वह है जो एक अच्छे जीवन को प्रेरित करता है और यही जीवन का उद्देश्य है। ज्ञान वह साधन है जो जीवन को अच्छा बनाता है। जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं, एक जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए साधन प्रदान करता है। प्रेम से तात्पर्य है सार्वभौमिक प्रेम, वह भावनात्मक सामग्री जो आदमी को मनुष्य बनाती है। ज्ञान से वास्तव में जो अर्थ है वह बुद्धिमत्ता है जो मनुष्य प्राप्त करता है और मानव जाति की प्रगति के लिए इसका उपयोग करता है। बिना ज्ञान के प्रेम मानव को जीवन की अन्य प्रजातियों से अलग नहीं बनाता। बिना प्रेम के ज्ञान मानव को एंड्रॉइड की तरह एक भावनाहीन तार्किक मशीन बना देगा।

ज्ञान पर प्रेम को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह प्रकृति में अधिक बुनियादी है; यह एक मौलिक प्रवृत्ति की तरह है जो हर जीवित प्राणी में निर्मित होती है। यह स्वयं के भीतर मौजूद होता है और इसे किसी भी बाहरी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। एक रोबोट को किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। यह उसे मिलने वाली कमांड पर काम करता है, लेकिन मानव को एक प्रेरणा शक्ति की आवश्यकता होती है, एक प्रेरणा जो उसे ज्ञान की तलाश में ले जाती है। प्रेम वह प्रेरणा है जो मनुष्य को ज्ञान की ओर अग्रसर करती है ताकि वह उन लोगों को लाभान्वित कर सके, जिनसे वह प्रेम करता है। समाज के लिए हानिकारक किसी भी कार्य को करने की मानवीय प्रवृत्ति के लिए प्रेम एक बाधा है। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा मानव जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले भी लोग थे, जिन्हें ज्ञान से शक्ति प्राप्त थी लेकिन उनके अंदर प्रेरक प्रेम का अभाव था। जो लोग अपने अंदर प्रेम रखते हैं, विज्ञान का उपयोग केवल मानव जाति की भलाई के लिए करते हैं। प्रेम ही वह कारक है जो वैज्ञानिकों को तानाशाहों और अराजकतावादियों से अलग करता है।

यहां प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर यह है कि प्रेम का अद्वितीय गुण और महत्व ज्ञान को हीन नहीं बनाता। ज्ञान मानवजाति का अंतिम लक्ष्य है; प्राचीन हिंदू

ग्रंथों और बौद्ध साहित्य में इस पर जोर दिया गया है। ज्ञान मनुष्य को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। ज्ञान की शक्ति के बिना, मानव समाज की बेहतर और प्रगति के लिए कुछ भी करने में असहाय है। ज्ञान ही वह साधन है जिसने मानव जाति को पत्थर युग से अंतरिक्ष युग तक पहुंचा दिया। ज्ञान के कारण ही मानव आज दिन प्रति दिन नई-नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही आज हम उन कार्यों को मिनटों में कर लेते हैं जो सदियों पहले असंभव से प्रतीत होते थे। मनुष्य की प्राकृतिक नियमों के प्रति जिज्ञासा ने उसे इन नियमों को समझ करने आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। जब मानवीय जिज्ञासा और उसे शांत करने के लिए प्रयुक्त ज्ञान का संगम होता है तो कुछ वैज्ञानिक चमत्कार होते हैं जैसे मनुष्य की ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की जिज्ञासा और उसे शांत करने हेतु वैज्ञानिक खोजों के कारण ही आज हम बिग-बैंग जैसे सिद्धांत स्थापित कर पाए हैं और ब्लैक होल जैसे खगोलीय संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। यही ज्ञान आगे चलकर मानव की ब्रह्मांड में अन्य जीवों की उपस्थिति से संबंधित जिज्ञासा को शांत करने के लिए साधन का कार्य करेगा। ज्ञान के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति की शंकाओं का समाधान संभव हो सकता है जैसे कुरु क्षेत्र रणभूमि में अर्जुन के मन में व्याप्त आशंकाओं का समाधान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवदगीता का ज्ञान देकर किया। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि दार्शनिकों ने अपने मन में उत्पन्न आशंकाओं का समाधान ज्ञान के माध्यम से ही किया और विभिन्न दर्शनों को स्थापित किया। ज्ञान के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और राज्य का कर्तव्य होगा कि वह बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करे। वहीं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वह "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें"।

कई लोग जो बिना किसी ज्ञान के विभिन्न विचारधाराओं से गुमराह होते हैं, वे समाज के लिए खतरा बन गए हैं। उन विचारधाराओं के लिए उनका तथा कथित प्रेम हमारे द्वारा देखे गए कई अमानवीय मामलों का कारण है। इन सब के लिए ज्ञान की कमी ही इन का मुख्य कारण है। दूसरी तरफ, प्रौद्योगिकियों और विज्ञान का उपयोग करके बहुत सारे अपराध होते हैं। यह हमें प्यार के बिना ज्ञान का चेहरा दिखाता है। भारत हमेशा से दुनिया के लिए अपने जीवन पद्धति को लेकर एक मिसाल रहा है। भारत ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई हैं। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग मंगल और चंद्रमा पर उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए करते हैं, तो हम अपने पड़ोसी देशों भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि के विकास के लिए हर संभव उनकी मदद करते हैं। प्रेम और ज्ञान का संतुलन ही हमारे देश को आगे ले जा रहा है। कई गुमनाम नायक हमारे देश के हर हिस्से में रहते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। उनके जैसे लोग हमें शायाद दिलाते हैं कि हमारी वास्तविक प्रकृति और संस्कृति प्रेम और ज्ञान का संतुलन है।

वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने युवाओं को धर्म के नाम पर गलत शिक्षा देकर उन्हें भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि सच्चाई यह है कि युवाओं को जिस धर्म के आधार पर लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है वह धर्म प्रेम, सत्य और भाईचारे कि शिक्षा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी विचार धारा के प्रति प्रेम सदैव सत्य ज्ञान पर आधारित होना चाहिए।

अच्छा जीवन अप्राप्य नहीं है, बल्कि यह सभी की पहुंच के भीतर है। प्रेम हर किसी के हृदय के अंदर होता है, इसे बस फिर से जागृत करने की आवश्यकता होती है। आत्म-विकास स्वयं के बारे में ज्ञान का परिणाम है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेम और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। केवल वे लोग जो प्रेम से प्रेरित हैं और ज्ञान से संचालित होते हैं, समाज के लिए अच्छे नेता हो सकते हैं। महात्मा गांधी इस प्रकार के नेतृत्वकर्ता के लिए एक सटीक उदाहरण हैं जो स्वयं प्रेम, अहिंसा, सत्य आदि सद्गुणों से प्रेरित थे, साथ ही गांधी जी ज्ञान के महत्व को भी भली-भांति समझते थे। जब कोई अध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे पता चलता है कि प्रेम और ज्ञान कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक साथ यह दोनों सभी को एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। वास्तव में प्रेम और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं।

कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है

अर्थव्यवस्था

" गरीबी किसी के पास वह स्थिति है जब पास आम तौर पर या सामाजिक रूप से मान्य मात्रा में मुद्रा अथवा भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व नहीं हो" तथापि, गरीबी केवल पर्याप्त मात्रा में आय की कमी मात्र नहीं है। इसके दूरगामी प्रभाव हैं। गरीबी से ग्रसित लोगों को कई तरह के अभावों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें भुखमरी और कुपोषण, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सेवाओं का अभाव, सामाजिक भेद-भाव एवं छुआ-छूत के साथ-साथ निर्णयन प्रक्रिया और राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी की कमी भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि गरीबी को दान से दूर नहीं किया जा सकता। लोगों को सुविधाएं देकर उन्हें आगे के लिए सशक्त बनाकर ही गरीबी निवारण पर सफलता हासिल की जा सकती है।

"कहीं भी अत्यधिक गरीबी हर जगह मानव सुरक्षा के लिए खतरा है" —***कोफी अन्नान***

यदि किसी देश या समाज की जनता गरीब है तो इसके नकारात्मक प्रभाव केवल उसी स्थान या देश तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह समाज और विश्व के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है तो वहाँ के लोग आभावग्रस्तता के कारण शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित होंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित होंगे तथा उनकी आय में और कमी होगी जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में निरंतर फंसते चले जाएँगे। इससे लोगों की उत्पादकता में कमी होगी और वह देश पिछड़ता चला जाएगा। अक्सर इस प्रकार के गरीबी संचालित पिछड़ेपन के कारण कई नैतिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे जब किसी स्थान पर गरीबी के कारण आमदनी के सारे विकल्प समाप्त हो जाने पर यह आशंका होती है कि वहां के लोग जीवन निर्वाह और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम जैसे अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाएँ। जब भी समाज में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो इसका सबसे ज्यादा और प्रारंभिक प्रभाव समाज के सुभेद्य वर्ग अर्थात महिलाओं, बच्चों और वृद्धों पर पड़ता है। इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से किसी भी समाज का नैतिक पतन हो जाता है और नैतिक रूप से पतित समाज में किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। दूसरी ओर इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से एड्स जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं फैलने का खतरा बना रहता है, जो एक बार फैलने के बाद किसी स्थान तक सीमित नहीं रहती हैं।

भारत में नक्सलवाद जैसी समस्या का मूल कारण भी कहीं न कहीं निर्धनता ही है। नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलवाड़ी नामक एक छोटे से गांव से जमींदारों के अन्याय के प्रतिरोध के रूप में हुई थी, लेकिन इसने आज भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास न होने के कारण यह क्षेत्र शेष भारत की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़े हैं। नक्सलवाद की चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग भविष्य में शेष भारत में भी इसके प्रसार के प्रयास करेंगे। जिसके परिणामस्वरूप भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह शुरू होने से देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक विशाल चुनौती उत्पन्न होने की आशंका है। यदि इसी समस्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो निर्धन देशों के लोग संसाधनों के अभाव में उचित शिक्षा न मिल पाने के कारण और साथ ही आसानी से धन प्राप्ति की लालच में चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकवादी समूह में शामिल हो जाते हैं, जिसका परिणाम सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसे उसकी आतंकी गतिविधियों के कारण हाल ही में FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। यदि पाकिस्तान ने FATF की शर्तों को पूरा नहीं किया तो उसे भविष्य में ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी जिसके कारण वहां आतंकवाद और अधिक बढ़ेगा जिसका असर सारी दुनिया पर होगा। लेकिन सबसे अधिक खतरा भारत को है, जिसके विरुद्ध पाकिस्तान हमेशा छद्म युद्ध चलता रहता है।

गरीबी और पर्यावरणीय समस्याओं में समानुपातिक संबंध माना जाता है। यदि किसी समाज में गरीबी है तो वहां लोगों को स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी, जिसके कारण गरीब लोग ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन जैसे कम दक्ष ईंधनों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा जिससे इन क्षेत्रों सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खराब होगी जिसकी सामाजिक लागत बहुत अधिक होती है।

गरीबी से जूझ रहे क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में समृद्ध शहरों का रुख करते हैं। चूँकि, इन शहरों में अवसंरचना का विकास पहले से रह रही सीमित जनसंख्या के लिए ही हुआ होता है, लेकिन जब अन्य जगह से आए लोग आवास के लिए झुग्गी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं और ऐसी बस्तियों में आधार भूत सुविधाओं जैसे शौचालय, स्वच्छ जल, पर्याप्त वातायन न होने के कारण इन क्षेत्रों में बीमारियां फैलने की अत्यधिक आशंका होती है। यदि यह क्षेत्र एक बार गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए और इन बीमारियों ने यदि महामारी का रूप ले लिया तो धीरे-धीरे सारा शहर इस महामारी के चपेट में आ सकता है। इसके साथ ही इन बस्तियों में उचित तरीके से लोगों का सत्यापन नहीं हो पाने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन बस्तियों का उपयोग अपने आपराधिक ठिकानों के रूप में कर सकते हैं जिससे शहर में संगठित अपराध में वृद्धि की आशंका उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप समाज में कानून और व्यवस्था भंग हो सकती है। जब निर्धन राज्यों से अपेक्षाकृत

समृद्ध राज्यों की ओर प्रवास होता है तो उस क्षेत्र के लोगों को लगता है कि बाहर के लोग आकर उनके संसाधनों और रोजगार का अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय और प्रवासित लोगों के बीच तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार की अलगाववादी भावना के कारण अखंडता और बंधुता जैसे संवैधानिक आदर्शों को चोट पहुँचती है।

यदि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि निर्धनता के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में कमी आएगी जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी होगी और उत्पादन इकाइयों को बंद करना पड़ेगा। उत्पादन इकाइयों के बंद होने से उन में कार्यरत लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी और देश धीरे-धीरे मंदी की चपेट में आ जाएगा। मंदी के कारण देश निर्धनता के कुचक्र में फंस जाएगा। साथ ही विऔद्योगीकरण के कारण देश के निर्यात में कमी से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी और देश की मुद्रा कमजोर हो जाएगी।

इस प्रकार देखा जाए तो समाज के एक हिस्से में व्याप्त निर्धनता सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य गरीबी के कारण कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं तो वहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान जैसी असफल अर्थव्यवस्था में गरीबी के कारण पनपता आतंकवाद संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि देश के भीतर संसाधनों का उचित प्रकार से वितरण करके समावेशी विकास को बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक असमानता को कम से कम किया जा सके। इसी प्रकार आर्थिक रूप से ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि द्वारा उचित समाधान प्रस्तुत करते हुए इन देशों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि गरीबी के कारण इन देशों में उत्पन्न समस्याएं शेष विश्व समुदाय को प्रभावित न कर सकें।

जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें

पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन का आशय तापमान, बारिश, हवा, नमी जैसे जलवायु वीयघटकों में दीर्घकाल में होनेवाले परिवर्तनों से है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य उन बदलावों से है जिन्हें हम लगातार अनुभव कर रहे हैं। आई पी सी सी (इंटर गवर्नमेंट लपैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) सहित अनेक वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन की पुष्टि की है कि, वर्तमान समय में विश्व जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का असीमित और अतार्किक प्रयोग करने के कारण बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, चक्र वातसागरों का उष्णन तथा अम्लीकरण और हीटवेव जैसी आपदाओं की बारंबारता बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इस प्रकार की आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका प्रभाव भारत पर भी समान रूप से देखा जा रहा है। भारत में बढ़ती बाढ़ की प्रवृत्ति, वर्षा की अनिश्चितता, सूखे की बारंबारता जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को दर्शाते हैं।

किसी देश की जलवायु सुनम्यता, जलवायु से संबंधित खतरनाक घटनाओं, रुझानों या गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने, उनका सामना करने के लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। विश्व बैंक ने भारत पर जलवायु परिवर्तन के कुछ नकारात्मक प्रभावों को इंगित किया है और इनके समाधान के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार इस दिशा में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं का निर्माण कर रही है तथा कुछ योजनाओं को लागू कर चुकी है। भारत पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव और उनके समाधान के लिए उपाय निम्नलिखित हैं–

1. **चरम तापमान–** बीते कुछ समय से भारत गर्म जलवायु की स्थिति का सामना कर रहा है। 4°C तापमान वृद्धि के साथ भारत का पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत गर्म जलवायु की और प्रतिस्थापित हो रहे हैं जिसके कारण कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इस समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक है कि नियोजकों द्वारा शहरों का इस प्रकार नियोजन किया जाए ताकि शहर आज की तरह ऊष्मा द्वीप में परिवर्तित न हो ताकि गर्मी की नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
2. **वर्षा के प्रति रूप में परिवर्तन–** वैश्विक तापमान में 2°C की वृद्धि भारतीय ग्रीष्म मानसून को अत्यधिक अप्रत्याशित बना देगा। अत्यधिक आर्द्र मानसून जो फिलहाल 100

वर्षों में एक बार घटित होता है, वह 4°C ताप वृद्धि पर हर 10 साल में घटेगा। मॉनसून में हुए इस अचानक बदलाव के कारण कई प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होंगी; जैसे अत्यधिक सूखा के साथ ही भारत के वृहद भू-भाग पर अत्यधिक बाढ़। इस परिवर्तन के प्रति सुनम्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मौसम पूर्वानुमान तंत्र को अधिक बेहतर बनाया जाए साथ ही बाढ़ सूचना तंत्र को स्थापित किया जाए ताकि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोग आपदापूर्व ही क्षेत्र से विस्थापित हो सके।

3. **सूखा–** साक्ष्य इंगित करते हैं कि दक्षिण एशिया के भाग 1970 से सुखे की बढ़ती संख्या के कारण शुष्क होते जा रहे हैं। सूखे के गंभीर परिणाम होते हैं 1987 और 2002-03 में सूखे ने भारत के आधे से अधिक फसली क्षेत्र को प्रभावित किया जिसके कारण फसल उत्पादन में अत्यधिक गिरावट देखी गई। ऐसी आशंका है कि भारत के कुछ क्षेत्रों विशेष कर उत्तर पश्चिम भारत, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सूखे की बारंबारता में वृद्धि हो सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण 2040 तक फसल उत्पादन में काफी गिरावट आएगी। सूखे की समस्या का सामना करने के लिए अनुसंधान और विकास पर निवेश करके फसलों की सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने की आवश्यकता है।

4. **सतही जल–** भारत की 60% से अधिक कृषि वर्षा आधारित है जो भारत को सतही जल पर अत्यधिक निर्भर बनाती है। जलवायु परिवर्तन के बिना भी भारत के 15% सतही जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन हो चुका है। इस प्रकार जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भविष्य में न सिर्फ कृषि उत्पादन के लिए, बल्कि पीने के पानी के लिए भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के संकट को टालने के लिए आवश्यक है कि भारत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली और फव्वारा विधि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य "परड्रॉपमोरक्रॉप" अर्थात् पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग करते हुए उत्पादन करना है।

5. **पिघलते ग्लेशियर–** 2.5°C उष्णन पर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और हिमालय के हिम छत्रक समाप्त हो जाते हैं जिसके कारण उत्तर भारत की ग्लेशियर आधारित नदियों विशेषकर ब्रह्मपुत्र और सिंधु में जल प्रवाह में अस्थिर हो जाता है। इन नदियों में वसंत में जब हिम पिघलती है तो इनके प्रवाह में वृद्धि हो जाती है जबकि वसंत के बाद और ग्रीष्म ऋतु में प्रवाह घट जाता है। नदियों के प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण सिंचाई प्रभावित होती हैं जिससे फसल उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोगों की जीविका प्रभावित होती है क्योंकि इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में करोड़ों लोग रहते हैं। साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने के कारण कालांतर में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने का खतरा है।

जलवायु परिवर्तन और उसके कारण उपर्युक्त आपदाओं का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वॉर्मिंग है। प्राकृतिक रूप से यह घटना लाखों वर्षों में होती, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यावरण

में मानवीय हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी का तापमान 0.8°C से 1°C तक बढ़ चुका है और यदि यह वृद्धि इसी प्रकार जारी रही तो सदी के अंत तक ताप 1.5°C तक बढ़ जाएगा। तापमान वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाए जिसका एक बड़ा कारण उद्योगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन हेतु जीवाश्म ईंधन का दहन और वाहनों की बढ़ती संख्या है। भारत सहित विश्व के सभी देशों को चाहिए कि वह ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग करें। भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के 21% की कमी की है। भारत ने पेरिस समझौते में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 175 गीगावॉट लक्ष्य की घोषणा की थी जिसमें से 83 गीगावॉट का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। भारत में हाल ही में अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 450 गीगावॉट कर दिया है और हम सौर ऊर्जा, जैव इंधन और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं।

वाहनों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। हमने वाहन उत्सर्जन नियमों के आधार पर BS-IV से BS-VI की छलांग लगाई है। साथ ही ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए देश में घरों में 36 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब लगाए जा चुके हैं और एक करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट की जगह एल.ई.डी. बल्बों ने ले ली है। भारत ढाई से तीन करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन अवशोषित करने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्ष में देश के हरित क्षेत्र में 15 हजार वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को रातों-रात रोका या बदला नहीं जा सकता, लेकिन देश को इनके प्रति सुनम्य बनाया जा सकता है। सुनम्यता के प्रयास स्थानीय स्तर पर और कभी-कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी किए जाने चाहिए। इसके लिए अभूत पूर्व संयुक्त और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रयासों के साथ-साथ जनमानस में जागरुकता लाने की आवश्यकता है ताकि आनेवाली पीढ़ियों को जब हम ये प्रकृति सौंपकर जाएँ, तो वायु उनके साँस लेने लायक हो, भूमि उनके रहने लायक और पानी उनके पीने लायक हो।

जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है

समाज

मानव जीवन में सिद्धांत नियम होते हैं, जिनसे मनुष्य सही गलत का पता लगा पाता है। सिद्धांत ही मनुष्य के जीवन में उसके मार्गदर्शन का काम करते हैं। सिद्धांत एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को समाज में अलग पहचान देते हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य अपने आचरण को सुधारता है। वहीं अगर विशेषाधिकार की बात की जाए तो यह अधिकारों से बिल्कुल अलग होते हैं। विशेषाधिकार किसी को विशिष्ट लाभ या फिर रक्षा उपकरण के रूप में विशेष लोगों को प्रदान किए जाते हैं। परंतु जब विशेषाधिकारों का प्रयोग लोग अपने फायदे के लिए करने लगते हैं तो सिद्धांतों और विशेषाधिकारों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से न ही लोगों के पास सिद्धांत बच पाते हैं और न ही विशेषाधिकार।

अगर समाज के परिपेक्ष में बात की जाए तो समाज में रहने के लिए अनेक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से समाज विकास करता है तथा रूढ़ीवादी विचारधारा से बचा रहता है, परंतु वर्तमान में जाति प्रथा, जैसी समस्या कहीं ना कहीं विशेषाधिकारों की ही देन है। समाज में कुछ लोग अपने आप को विशेष समझने लगते हैं, जिसकी वजह से निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार बढ़ जाता है तथा समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से समानता लाने के लिए समाज में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता का अंत' जैसे प्रावधान जोड़ने पड़े, जिसकी वजह से समाज में समानता की भावना उत्पन्न हो सके और जातीय व्यवस्था का आधार मजबूत हो सके। अमेरिका जैसे देशों में दास प्रथा जैसे मुद्दों को बढ़ावा मिला, इन्हीं विशेषाधिकारों की वजह से अमेरिका में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और विशेषाधिकारों पर चोट की।

प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत कमजोर थी। किसी भी प्रकार का अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं था। समाज को प्राप्त विशेषाधिकार प्रभावी थे, किन्तु न तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, न हीं वोट डालने का अधिकार। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् जब उनकी स्थिति में परिवर्तन आया तो तो उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ इन विशेषाधिकारों पर चोट की जिसकी वजह से लैंगिक समानता की बात की जाने लगी। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी महिलाएं अब इन विशेषाधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी महिलाओं की स्थिति मजबूत होती नजर आने लगी है। अत: जो भी समाज विशेषाधिकारों

को ज्यादा महत्व देता है और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे–समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन आदि से हट जाता है, इसके फलस्वरूप वह अपने समाज में गरीबी, भ्रष्टाचार, जाति प्रथा, लिंगभेद आदि समस्याओं को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में अनेक ऐसे राष्ट्र देखने को मिल जाएंगे जहां पर विशेषाधिकारों को महत्व देकर तानाशाही, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि समस्याएं बढ़ रही हैं।

कार्ल मार्क्स के अनुसार भी 'जब राज्य ने पूंजीपति वर्ग को सिद्धांतों से ऊपर उठकर विशेषाधिकारों के तहत संसाधनों पर ज्यादा अधिकार प्रदान कर दिए तो पूंजीपति वर्ग ने इसका ज्यादा से ज्यादा गलत प्रयोग किया जिसकी वजह से मजदूर वर्ग का शोषण अत्यधिक बढ़ गया। निम्न वर्ग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि पूंजीपति वर्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसके मुकाबले मजदूर वर्ग का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार होता है, परंतु राज्य ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इन्हें कुछ लोगों तक सीमित रखा और इसी वजह मजदूर वर्ग ने अपने सिद्धांतों से हटकर क्रांति कर दी जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति आदि देखने को मिली। इन क्रांति की वजह से मजदूर वर्ग ने पूंजीपति वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। देखा जाए तो इन क्रांति की वजह से न तो सिद्धांत बचे और न ही विशेषाधिकार।

इसी प्रकार ब्रिटिश सत्ता जो कि विश्व में अपने आप को लोकतंत्र की जननी समझता है, किंतु उसने भी हर अपने गुलाम राष्ट्र पर सिद्धांतों से ऊपर उठकर अपने विशेषाधिकारों को ज्यादा महत्व दिया। अत: अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली समझने वाला राष्ट्र ब्रिटेन का भी अंत हो गया। यही कारण था ब्रिटेन अपने सिद्धांत विशेषाधिकार दोनों से हार गया।

अपने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से राजनीति भी अछूती नहीं रही है। आज पूरी दुनिया में राजनीतिक विशेषाधिकारों को भी तार्किकता प्रदान करने की जोर-शोर से बहस चल रही है। मीडिया भी राजनीतिक विशेषाधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर भी बहुत से देश अपने सिद्धांतों से हटकर विशेषाधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध, आतंकवाद जैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन सब का समाधान नैतिकता के आधार पर सत्य निष्ठा, ईमानदारी जैसे सिद्धांतों का प्रयोग करके ही निकाला जा सकता है।

किंतु सिद्धांतों और विशेषाधिकारों के संघर्ष का सकारात्मक पक्ष भी रहा है क्योंकि इन्हीं संघर्ष की देन है कि फ्रांस की क्रांति के बाद समाज से कुलीन वर्ग का सफाया हो गया और समाज में एकरूपता आई; वहीं अमेरिका जैसे देश में क्रांति के बाद मजबूत लोकतंत्र मिला, और भारत जैसे देश को भी जातीय संघर्ष, लैंगिक समानता, साथ ही वंचित वर्ग को सुरक्षा हेतु मूल अधिकारों का एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। इसी के साथ कई देशों में भी लोकतांत्रिक सुधार हुए। आज संपूर्ण विश्व में होने वाले आंदोलन चाहे वह महिला सुरक्षा से संबंधित हो, अभिव्यक्ति की आजादी से हो, शिक्षा के अधिकार से हो; कहीं न कहीं

विशेषाधिकारों के प्रतिरोध का ही परिणाम है। परंतु सिद्धांतों और विशेषाधिकारों के संघर्ष को लोकतंत्र के लिए आज के समय में सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसकी वजह से सामाजिक क्षति, आर्थिक क्षति, सांस्कृतिक क्षति आदि होती है।

अत: किसी भी राज्य में प्रजा की भलाई में ही शासक की भलाई होती है, परंतु अगर शासक इन सबसे हटकर अपने ही हित को महत्व देने लगे तो ऐसे शासन में विशेषाधिकारों का महत्व बढ़ जाता है जिसकी वजह से सिद्धांत एवं विशेषाधिकारों के बीच टकराव पैदा होता है और शासक अपने सिद्धांत एवं विशेषाधिकारों दोनों से हाथ धो बैठता है। इसके विपरीत जिस राज्य में सिद्धांतों को विशेषाधिकारों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां पर 'सब का साथ एवं सबका विकास' जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसा राज्य एवं समाज सतत समावेशी, विकासशील एवं आनंदित रहता है।

भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन–एक जटिल कार्य

राजनीति

ईश्वर ने सुंदर पृथ्वी का निर्माण किया और इस पर मानव सहित समस्त जीवों के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की, लेकिन मानव ने पृथ्वी को अपनी लालच के चलते कई भागों में विभाजित कर इस पर अलग-अलग सीमाएं खींच दी। जैसी कि प्रारंभ से ही मानवीय प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी असीमित लालसा के चलते अन्य लोगों की हक की जमीन पर भी अपना अधिकार कर लेना चाहता है। यही वह बिंदु है जहां से दुनिया में समस्त सीमा विवादों की शुरुआत होती है। भारत भी इस प्रकार के सीमा विवादों से अछूता नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत और इसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ कुछ सीमा विवादों ने जन्म लिया, जिसके कारण आए दिन भारत इन देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती रहती है। जैसा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि "हम अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं"। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ कितने भी गंभीर सीमा विवाद क्यों न हो उनका प्रबंधन कर समाधान करना अति आवश्यक है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रारंभ हो गए थे। विभाजन की शर्तों के अनुसार किसी भी रियासत को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने की स्वतंत्रता थी, लेकिन कश्मीर रियासत के महाराजा हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी विलय से इंकार कर स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत की इच्छाओं का सम्मान न करके अपनी बदनीयती के चलते कश्मीर पर आतंकवादियों के वेश में हमला कर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। बाद में जब कश्मीर का भारत के साथ विलय पत्र के माध्यम से कानूनी तौर पर विलय होने के बाद भी पाकिस्तान ने कब्जा किए हुए कश्मीर को लौटाने से इंकार कर दिया, तब से अब तक कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। भारत तब से पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को बातचीत के माध्यम से हल न करके कश्मीर में लगातार आतंकवाद फैलाकर तथा अलगाववादी भावनाओं को भड़काकर कश्मीर को भारत से छीनने का प्रयास कर रहा है। कश्मीर के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर तथा सर क्रीक को लेकर भी विवाद बना हुआ है।

भारत का एक अन्य पड़ोसी देश चीन, जिसकी अपने पड़ोसी देशों के प्रति सदैव आक्रामक नीति रही है, के साथ भी भारत के सीमा विवाद हैं। चीन प्रारंभ से ही छोटे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा है। चीन ने 1950-1951 में तिब्बत की सीमा का उल्लंघन करते हुए उस पर अतिक्रमण कर लिया। तिब्बत आज भी चीन के कब्जे, में है जिसे भारत सहित कई देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। चीन का भारत के प्रति भी इसी प्रकार का रुख है चीन ने पहले ही भारत के हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके अलावा चीन मैकमोहन रेखा को मानने से भी इनकार करता है। चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है तथा उसे अपना हिस्सा मानता है तथा अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से में दर्शाता है। हाल ही में चीन ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र में घुसपैठ करके वहां अतिक्रमण करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। चीन के साथ सीमा विवादों को हल करना चीन की आक्रामक नीति के कारण एक कठिन कार्य प्रतीत होता है क्योंकि चीन किसी भी पूर्व संधि और समझौते का सम्मान नहीं करता तथा उसके द्वारा दर्शाए गए नक्शे के अनुसार ही विवादों का हल चाहता है जो कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए मानना असंभव है।

भारत और बांग्लादेश के बीच भी कई सीमावर्ती गांवों को लेकर विवाद की स्थिति है क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत व तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के मध्य कई गांवों के बीच सीमा निर्धारित नहीं हो पाने से उनका स्पष्ट विभाजन नहीं हो पाया था। साथ ही भारत और बांग्लादेश के मध्य प्राकृतिक सीमाओं की अधिकता के कारण ठीक से सीमा निर्धारण कर पाना असंभव है, साथ ही अन्य सीमाओं की तरह यहां पर बाढ़ लगाना भी अत्यधिक कठिन कार्य है जिसके कारण आए दिन बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ होती रहती है। इसके कारण भारत के पूर्वी और उत्तरपूर्वी राज्यों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इसके परिणामस्वरूप कई सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।

भारत और नेपाल के बीच सदियों से मधुर संबंध रहे हैं तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत और नेपाल के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। लेकिन दोनों देशों के बीच कालापानी क्षेत्र को लेकर समय-समय पर सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। भारत व नेपाल दोनों कालापानी क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हैं, जिसका कारण निर्धारित सीमा की दोनों देशों द्वारा अलग-अलग व्याख्या करना है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा खुली है तथा दोनों देशों के बीच आवागमन के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती, इसी वजह से कई अवैध कार्य भी इन सीमाओं से होकर किए जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा का अधिकतर भाग हिमालय क्षेत्र में पड़ने के कारण यहां भौतिक अवसंरचना के माध्यम से सीमा निर्धारित करना लगभग असंभव है, यही कारण है कि यह क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों के लिए इतना सुभेद्य बना हुआ है।

भारत और म्यांमार के बीच किसी प्रकार का कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन अनुमान से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी समूहों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिए

जाने के कारण कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ आतंकवादी समूह भारत में आतंकवादी गतिविधियां करके म्यांमार भाग जाते हैं, जिन्हें भारतीय कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का समाधान दोनों देशों द्वारा बातचीत के माध्यम से संयुक्त बल का गठन कर आतंकवादी समूहों का खात्मा करके करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है तथा हमने किसी भी समस्या के समाधान के लिए कभी भी आक्रामक नीति नहीं अपनाई है क्योंकि भारत का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी विवाद या समस्या का समाधान केवल परस्पर विश्वास निर्माण करके ही किया जा सकता है। दो देशों के बीच विश्वास निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उन देशों के नेतृत्व समय-समय पर समस्याओं के समाधान के लिए शांति वार्ताएं करते रहें और विवादों का एक ऐसा मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करें, जिस पर दोनों देश सहमत हो सके। एक शांतिप्रिय देश होने के नाते भारत ने सदैव वार्ता की पहल की है, लेकिन पाकिस्तान ने बार-बार भारत के साथ छल करके देश में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर चीन भी अपनी आक्रामक नीति त्याग कर वार्ता के लिए तैयार नहीं है। विवादों के समाधान के लिए सबसे उत्तम प्रयास भारत और बांग्लादेश ने किए हैं, जिन्होंने अपने अधिकतर सीमा विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया है। बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान और चीन को भी भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वार्ता ही एकमात्र ऐसा साधन है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को हल कर सकती है। अतः भारत के सीमा विवादों के प्रबंधन एक जटिल कार्य अवश्य, लेकिन यह असंभव नहीं है।

यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, बल्कि उसकी पुष्टि करता है

दर्शन

यथार्थ से तात्पर्य, जो वस्तु जैसी भी है उसका वैसा ही वर्णन से है, अर्थात् यथार्थ उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानता है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पशु; पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि सभी वस्तुएं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इसलिए ये सभी सत्य हैं और वास्तविक हैं। यथार्थ, जैसा यह संसार है जिस रूप में है वैसा ही सामान्यत उसे स्वीकार करता है। आदर्श वह स्थिति होती है जो किसी भी मानव को अपने आप में सर्वोच्च प्रस्तुत करती है। सामान्यत नैतिक एवं धार्मिक जीवन में आदर्शों को ही समाज में एवं मानव विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। किसी भी समाज में नैतिकता, सत्यता, त्याग, क्षमा, ईमानदारी, दया आदि आदर्शों की चर्चा होती है और यह संस्कृति समाज का अंग भी है तथा समाज को आदर्श भी बनाती है। मानव समाज में समझा भी जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, इसके विपरीत असत्य की पराजय होती है। यहीं पर यथार्थ एवं आदर्श की तुलना हो जाती है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता भी है और कई बार ऐसा हो भी नहीं पाता। यथार्थ एवं आदर्श में से एक प्रत्यक्ष होता है तो दूसरा कल्पना होता है। इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से जीवन को परिभाषित नहीं किया जा सकता।

हम प्राय: यह मानकर चलते हैं कि कुछ चीजें यथार्थ होती हैं और कुछ आदर्श। हमारे भीतर प्राय: यह भावना भी होती है कि आदर्श आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनके बारे में सोचना ही बेकार है। कई बार हम यह कह कर छोड़ देते हैं कि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है; परंतु हम यह भूल जाते हैं जिसको हम आज यथार्थ मान रहे हैं वह भी किसी समय आदर्श रहा होगा। अत: एक समय का आदर्श दूसरे समय के लिए यथार्थ में बदल जाता है। अगर देखा जाए तो हमारी सभ्यता का विकास भी आदर्शों का ही यथार्थ में बदलते हुए हुआ है; यानी कि वर्तमान में जिसको हम यथार्थ समझ रहे हैं, वह अतीत में आदर्श रहे होंगे। प्रत्येक नए युग की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां पर बीते हुए युग ने उसको छोड़ा था। इसीलिए प्रत्येक युग का आदर्श व यथार्थ एक दूसरे से संबंधित होता है। जब यथार्थ आदर्श के रूप में परिवर्तित होने लगता है तो समाज का सर्जनात्मक विकास होता है। मनुष्य ही इसलिए आगे बढ़ सका है क्योंकि उसने हमेशा वर्तमान से एक बेहतर स्थिति की कल्पना की है और उसे पाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। परंतु समाज

में संघर्ष सभी लोग नहीं करते कुछ ही लोग करते हैं इसलिए वे हमारे आदर्श बन जाते हैं; जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्र नाथ टैगोर, अब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला इत्यादि।

आदर्श को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता; लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है या उसके पास पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम अपना आदर्श मानते हैं जो कि आदर्शों से परिपूर्ण भी थे, परंतु कहीं न कहीं प्रजा की सुनी बात के आधार पर उन्हें माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए विवश होना पड़ा जोकि उनके आदर्श के अनुरूप नहीं था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आदर्श से परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह कहीं न कहीं लगाव, द्वेष आदि भावनाओं से प्रेरित भी होता है। वहीं वर्तमान काल में भी राजनीति में यथार्थ एवं आदर्शों के बीच लगातार जंग चलती रहती है। मिसाल के तौर पर देखें तो लोकतंत्र आदर्श के रूप में "जनता के लिए, जनता द्व ारा शासन" है, परंतु यथार्थ में कोई भी देश या राज्य ऐसा नहीं, जहां राजनीतिक दल द्वारा शासन न किया जाता हो। लोकतंत्र आज के समय में एक ऐसा आदर्श है, जिसके नाम पर सभी राजनीतिक दल या वर्ग शासन कर रहे हैं। शायद, इसीलिए फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब 'द एंड ऑफ हिस्ट्री' में लोकतंत्र को आखरी विजय आदर्श बताया है। लोकतंत्र के भीतर ही शासन के यथार्थ और लोकतंत्र के आदर्श के बीच जंग की स्थिति बनी रहती है। कई बार इसी स्थिति के आधार पर सामाजिक आंदोलन तक भी हो जाते हैं, परंतु शासन रूपी यथार्थ इन सामाजिक आंदोलनों को लील जाते हैं और लोकतंत्र के आदर्श समाप्त हो जाते हैं।

कोई भी संस्कृति तभी महान हो सकती है जब वह उच्च आदर्शों से परिपूर्ण हो, क्योंकि आदर्शों का विकास ही उस संस्कृति का विकास कर सकता है। इसके विपरीत नकारात्मक और विखंडित यथार्थ इस विकास को धीमा कर देते हैं। किसी भी संस्कृति, सामाजिक विकास एवं मानव जीवन की गतिशीलता के लिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया का होना आवश्यक है क्योंकि प्रतिक्रिया अपने आप में तेज एवं एकांगी होती है। अगर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मानव जीवन की गतिशीलता को भूतकाल एवं भविष्य काल की कल्पना से संचालित या परिचित न किया जाए तो तो यह विकास का रूप धारण नहीं कर पाती, इसकी गति का लक्ष्य विकासात्मक नहीं होगा न ही मानव सभ्यता विकास कर पाएगी और न ही सामाजिक सभ्यता।

यथार्थ को हम सब जानते हैं कि वह आदर्शों से कोसों दूर होता है, लेकिन यथार्थ की कोशिश होती है कि वह हमेशा आदर्श के नजदीक हो। यानी कि यथार्थ का आदर्श की तरफ झुकाव उसकी पुष्टि करता है। इसीलिए हम सब किसी भी उद्देश्य को दिशा देने के लिए एक आदर्श लक्ष्य को पहले अपने मन में स्थापित करते हैं, फिर उस दिशा में बढ़ते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार यथार्थ की वजह से हम दिशाविहीन भी हो जाते हैं। वर्तमान समय में आदर्श को आधुनिक जगत की शक्तियां निर्धारित कर रही हैं, इस वजह से आज के आदर्श विलासिता वाले होते जा रहे हैं, जो कि परंपरागत तरीकों एवं वैकल्पिक विधियों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसी की वजह से अधिकतर लोग आदर्शहीन हो रहे हैं, लोगों में तनाव पनप

रहा है, लोग भौतिक वस्तुओं की तरफ अधिक बढ़ रहे हैं, इन सब का दबाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। इसीलिए आदर्श को हमेशा हकीकत के पैमाने पर रखकर आंकना चाहिए। मार्क्स आदि को भी काल्पनिक माना जाता है, जिन्होंने समाजवाद के नाम पर कई लड़ाइयां लड़ीं, परंतु यथार्थ में दुनिया पूंजीवाद को ही तलाशती रही। आदर्श का अव्यावहारिक होना मनोरंजन जगत में तो चल जाता है, परंतु जब उसके आधार पर दिए हुए सिद्धांत निजी जिंदगी में आ जाते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। यथार्थ हमेशा गलत नहीं होता, जैसे–जैसे हमारा उससे सामना पड़ता है उसकी कमियां नजर आती जाती हैं। इन कमियों को आदर्श की रेखाएं पूरा करती चलती जाती हैं। इन दोनों में पाए जाने वाला अंतराल हमें असंतोष पैदा करता है तो वहीं दोनों के मध्य पाए जाने वाला सामंजस्य हमें संतोष देता है। यही कारण है कि यथार्थ से आदर्श पर पहुंचने के लिए मनुष्य की स्थिति निर्भर करती है।

अत: यथार्थ तथा आदर्श दोनों के अनेक आयाम होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वे एक-दूसरे के साथ समांतर रेखा की तरह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि यदि हमारा जीवन यथार्थ से नहीं सीख पाएगा तो आदर्श के परिपूर्ण भी नहीं बन पाएगा। यथार्थ के बिना जीवन में आदर्श के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यथार्थ आदर्श के अनुरूप तो नहीं होता, लेकिन उसकी पुष्टि अवश्य करता रहता है।

रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती

समाज

"नैतिकता के बिना कोई भी मनुष्य समाज में एक जानवर के समान होता है"

नैतिकता के कारण ही किसी व्यक्ति का व्यवहार मानवीय हो पाता है। अगर नैतिकता समाप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन जानवर के समान हो जाएगा, जिन्हें अपने समाज से ही 'भय' उत्पन्न होगा और एक का अस्तित्व दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। नैतिकता मानव मूल्यों की वह व्यवस्था है जो अधिक सुखमय जीवन के लिए हमारे व्यवहार को आकार देती है। जब व्यक्ति जीवन में किसी मोड़ पर संकट या द्वंद्व की स्थिति में होता है तो नैतिकता ही उसे भली-भांति मार्गदर्शन प्राप्त करती है। परंतु जब नैतिकता में रूढ़िगत नैतिकता सम्मिलित हो जाती है तो यह जीवन का मार्गदर्शन न करके व्यक्ति और समाज के शोषण में अत्याचार का आधार बन जाती है जो अंततः व्यक्ति के अधिकारों का गरिमा का उल्लंघन करती है।

वस्तुतः नैतिकता को उन मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अच्छे और बुरे तथा सही और गलत मानक का वर्णन करते हैं। नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है, जो किसी समाज के सदस्यों के लिए 'मूल्यों' और 'आचरण' के मानक को निर्धारित करती है और यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उसी के अनुरूप चलता रहे। कोई भी समाज वर्तमान समय के हिसाब से अपने मूल्य वह सिद्धांतों का निर्माण करता है। परंतु इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना मूल्यांकन किए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक समय के पश्चात यह सिद्धांत में मूल्य पुराने पड़ जाते हैं और उस आधुनिक समाज को इनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसके बावजूद अगर इन मूल्यों और सिद्धांतों को मानव समाज में नैतिकता के आधार पर आवश्यक समझा जाता है तो तब वे 'रूढ़िगत नैतिकता' का रूप धारण कर लेते हैं। आधुनिकता एक सोच है, एक विचार है, जो मनुष्य को दुनिया के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखाता है। अतः आधुनिक जीवन में प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर नवीन नैतिकता को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती क्योंकि आधुनिक जीवन में विवेकशीलता, तार्किकता तथा गतिशीलता का महत्वपूर्ण स्थान होता है और अगर हम इनके साथ रूढ़िगत नैतिकता को लाने का प्रयास करें तो यह आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं बन सकती क्योंकि रूढ़िगत नैतिकता में परिवर्तन की परवर्ती नहीं पाई जाती। जब रूढ़िगत

नैतिकता समय के साथ आगे बढ़ती है तो आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार अपने-आप में परिवर्तन नहीं कर पाती, जो कि समाज में फिर व्यक्तियों के अत्याचार में शोषण का आधार तैयार करती है। जैसे पहले भारतीय समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर ही रखा जाता था, बाहरी गतिविधियों में उनका कोई स्थान नहीं था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् अधिकतर महिलाएं घर से बाहर निकल कर काम करने लगीं, लेकिन समाज में अधिकतर रूढ़िवादी सोच के लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनको लगता है कि महिलाओं की भूमिका घर से बाहर नहीं हो सकती। इसके फलस्वरूप समाज में संघर्ष की भावना पैदा हुई और अधिकतर परिवार विघटन के मामले सामने आने लगे।

समाज में अधिकतर रूढ़िवादी नैतिकता की भूमिका धार्मिक मामलों में होती है। आज भी अधिकतर इन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय के लिए नियम व कानून बनाए जाते हैं, जो अपने फायदे के लिए रूढ़ीवादी प्रथाओं को आगे बढ़ाता रहता है और धर्म के नाम पर अपना वर्चस्व कायम रखता है जबकि आज के आधुनिक जीवन में धर्म का महत्व कम होने लगा है, आज का आधुनिक समाज धार्मिक मान्यताओं पर कम ध्यान आकर्षित करता है, इसके साथ साथ वे वर्तमान परिपेक्ष में बदलते समाज के साथ आगे बढ़ रहा है।

परन्तु यह रूढ़ीवादी नैतिकता समाज में विषमता को बढ़ावा देगी। समाज में बढ़ते रूढ़िवादी नैतिकता के प्रभाव से धार्मिक विषमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज में किसी एक धर्म वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वह अन्य धर्म को नष्ट करने की कोशिश करेगा। साथ ही धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और प्रथाएं तार्किकता तथा विवेकशीलता पर आधारित न होकर आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती।

आधुनिक जीवन तेज गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, अत: एक ऐसी नैतिकता ही इस आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है जो समय के साथ 'कदमताल' मिलाते हुए आधुनिक जीवन के साथ चलें। नैतिकता के मूल्य अधिक कठोर न होकर इनमें लचीलापन आवश्यक मौजूद होना चाहिए, जबकि रूढ़ीवादी नैतिकता अत्यंत कठोर होती है, इसके बावजूद भी इसे समाज पर थोपने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी नैतिक संहिता में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो यह समाज के शोषण का कार्य करने लगती है। यही कारण है कि वर्तमान में 'नारीवादी नैतिकता' उन सभी सिद्धांतों व नियमों की आलोचना करती है, जिनके कारण उनका शोषण हुआ। अत: ऐसी रूढ़िवादी नैतिकता जिसका आधार कुछ व्यक्तियों के हित में होने के साथ-साथ शोषण पर टीका हो, वह वर्तमान समय में आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं कर सकती।

वस्तुत: नैतिकता देश, समाज और संस्कृति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। जैसे हमारे समाज में कुछ लोगों के लिए 'शाकाहार' एक मूल्य माना जाता है, वही पश्चिमी समाज में ऐसी कोई नैतिकता नहीं है और मांसाहारी भोजन करना कोई अनैतिक कार्य नहीं है। अत:

यह आवश्यक हो जाता है कि हमें ऐसे नैतिक मूल्यों का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए समान हों एवं हित में हों, साथ ही समय-समय पर व्यक्तियों के साथ ही संपूर्ण समाज के उचित विकास और प्रगति के लिए नैतिकता को निरंतर परिभाषित व परिवर्तित करने के अलावा प्रगतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।

अत: नैतिकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सके, शोषण न कर सके व व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य ही न कर सके, इत्यादि; इन सब का आधार नहीं बनना चाहिए। नैतिकता का मूल्यांकन समय-समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि नैतिकता रूढ़िवादी नैतिकता में परिवर्तित ने हो। रूढ़िवादी नैतिकता आधुनिक समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और जीवन की समृद्धि के लिए खतरे उत्पन्न करती है। इसकी वजह से समाज में भेदभाव, शोषण, अत्याचार आदि मामलों को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक समय में विभिन्न समस्याओं जैसे–पर्यावरणीय समस्या, नैतिक मूल्यों का हाथ, समाज में बढ़ती विषमता, जातीय संघर्ष, इत्यादि का समाधान रूढ़िवादी नैतिकता से बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। अत: नैतिक व्यवस्था अनैतिक न बने इसके लिए जरूरी है कि समाज में बुद्धिजीवी लोग चर्चा और विचार विमर्श की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं, जिसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी हो, जिससे कि वर्तमान में समाज के सभी लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें, और यह आधुनिक समाजरूढ़ीवादी नैतिकता से बचा रहे।

2019

1. कृत्रिम बुद्धि का उत्थान: भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनरकौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सर्जन का अवसर (*विज्ञान-प्रौद्योगिकी*)
2. दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने-बाने से बने हैं (*समाज एवं संस्कृति*)
3. पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है (*मीडिया*)
4. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं (*शिक्षा/स्वास्थ्य*)
5. मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए (*दर्शन*)
6. विवेक सत्य को खोज निकालता है (*दर्शन*)
7. व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो (*समाज*)
8. स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं (*दर्शन*)

कृत्रिम बुद्धि का उत्थानः भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनरकौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सर्जन का अवसर

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी की मानवीय सभ्यता की भौतिक उन्नति और उसे सुख-सुविधाओं से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए कुछ विद्वान तो मानवीय सभ्यता के इतिहास को दो भागों में बांट कर देखते हैं–प्रथम प्रौद्योगिकी के आगमन के पूर्व की मानव सभ्यता एवं दूसरी इसके आगमन के पश्चात की सभ्यता। परंतु आधुनिक काल में जितनी प्रौद्योगिकी बढ़ती जा रही है उतनी ही चर्चा बढ़ती जा रही है कि प्रौद्योगिकी और मानव श्रम के बीच कौन सा संबंध स्थापित होगा? क्या प्रौद्योगिकी मानव श्रम को विस्थापित कर उसको बेरोजगार कर देगी या फिर उसको उच्च कौशल प्राप्त करके एक बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। उसी प्रकार की प्रौद्योगिकी "कृत्रिम बुद्धि" है। प्रत्येक नई वैज्ञानिक तकनीक जिनका संबंध विशेष रुप से मानव रोजगार से है उनके आने से मानव के मन में एक शंका उत्पन्न होने लगी है कि कहीं न कहीं यह तकनीक रोजगार के अवसरों को प्रभावित करेगी और इस कृत्रिम बुद्धि तकनीक से भविष्य में मानवीय जीवन में यह आशंकाएं उत्पन्न की जा रही हैं कि कहीं न कहीं यह तकनीक रोजगार के अवसरों को कम करेगी।

कृत्रिम बुद्धि से रोजगार के अवसरों पर संकट और मानव सभ्यता के अस्तित्व पर संकट की चर्चा से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि कृत्रिम बुद्धि आखिर क्या है? इससे जुड़े लाभ एवं हानि क्या हैं? इससे जुड़े खतरे कौन-कौन से हैं जिनकी वजह से मानवीय संकट की बात की जा रही है अर्थात् इसे एक मानवीय हितेषी तकनीक न मानकर इसकी पहचान एक विघटनकारी तकनीकी के रूप में की जा रही है।

कृत्रिम बुद्धि एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर जैसी मशीनों के माध्यम से कार्य करती है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की एक तकनीक है। वर्तमान में मानव एक तकनीक युग में जी रहा है अर्थात वैज्ञानिक तकनीक के बिना मनुष्य का जीवन आज के समय में अधूरा है। इन सभी प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसे चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जिसने मनुष्य के जीवन यापन में, कार्य करने की क्षमता में तेजी से परिवर्तन लाया है।

कृत्रिम बुद्धि सामाजिक न्याय, जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि, एवं लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसी के साथ साथ यह मानव की अपेक्षा बिना थके अधिक देर तक काम करने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होगी साथ ही साथ बड़े-बड़े औद्योगिक कारखानों में जहां पर काम करते वक्त मनुष्य की जान को अत्यधिक खतरा होता है, वहां पर भी इस तकनीक के द्वारा सरलता से बिना कोई जोखिम

उठाए काम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कृत्रिम बुद्धि ने मेडिकल क्षेत्र में भी काफी उन्नति कर ली है, बड़ी-बड़ी सर्जरी में इसका प्रयोग किया जा रहा है और सफलता भी प्राप्त हो रही है। परिवहन के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जैसे कि स्वचालित ट्रेनें का परिचालन काफी मात्रा में बढ़ा है। इसी के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा भी ड्रोन के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इसका अभी हाल ही में एक उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, यहां पर अमेजन कंपनी ने ड्रोन के माध्यम से अपनी होम डिलीवरी की शुरुआत की।

कई बार आपात स्थिति में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करके लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। प्राकृतिक आपदा जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया एवं अमेजन के जंगलों में लगी आग को ड्रोन के माध्यम से काबू पाया गया, वहां पर मानव का पहुंचाना खतरे से खाली नहीं था।

उपरोक्त लाभ देखते हुए लगता है कि कृत्रिम बुद्धि तकनीक मानव के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, परंतु अन्य प्रौद्योगिकी की तरह कृत्रिम बुद्धि विकास भी विवादों से घिरा हुआ है। अन्य तकनीक की तुलना में कृत्रिम बुद्धि के साथ अनेक समस्याएं और चुनौतियां हैं क्योंकि अन्य तकनीकी का नियंत्रण तो मनुष्य के हाथों में था, परंतु कृत्रिम बुद्धि तकनीक में मानव के समान इसका अपना मस्तिक होता है, वह मानव के अनुभवों से सीख सकता है। इस तरह से कृत्रिम बुद्धि का विकास स्वतंत्र रूप से होगा। हो सकता है कि भविष्य में वह मनुष्य को अपना शत्रु समझ ले और मनुष्य के लिए ही खतरा बनकर पैदा हो जाए अर्थात् कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानव के लिए अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव भविष्य में बेरोजगारी पर पड़ेगा, इसके संचालन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। इसके आने से मजदूर से लेकर उच्च गुणवत्ता कौशल वाले व्यक्ति के रोजगार को खतरा बढ़ सकता है अर्थात् कृत्रिम बुद्धि छोटे स्तर पर भी रोजगार के क्षेत्र में अपना असर दिखाएगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अब रोबोटों की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि रोबोट बिना रूके लंबे समय तक लगातार कार्य करता रहता है, जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मनुष्य की अपेक्षा अत्यधिक फायदा होता है। इसी के साथ मनुष्य से काम करवाने पर ऑटोमोबाइल मालिकों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है; जैसे वेतन न बढ़ने पर हड़ताल करना, इस प्रकार की समस्याएं रोबोट से कार्य कराने पर उत्पन्न नहीं होती, परंतु मनुष्य का रोजगार छिन जाता है। "इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स" की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों में रोबोटों की वार्षिक बिक्री दर लगभग 110 से 115% बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स के आने से विश्व में रोजगार में 1.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। अन्य वैश्विक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2030 तक रोबोटिक्स के कारण एवं स्वचालन के कारण लगभग विश्व में 30% मानवीय रोजगार कम हो जाएगा। इसीलिए लोगों को इन रोबोटिक्स के साथ काम करने के लिए नए कुशल तकनीक को सीखने की आवश्यकता है। यह आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय

में मनुष्य का भविष्य रोजगार वहीं न होने वाला है। भविष्य में इसके आने से अर्थशास्त्र के नियम पलट जाएंगे अर्थात मानवीय श्रम एवं रोजगार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

भारत जैसा देश जहां वर्तमान समय में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है और साथ ही भारत एक सबसे घनी युवा आबादी वाला देश है तो उसके लिए यह समस्या और गंभीर रूप ले लेगी।

परंतु, उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं होगा कि कृत्रिम बुद्धि एक अभिशाप है। इसके लिए एक विवेकशील एवं तर्कसंगत मत को अपनाने की आवश्यकता है। जो प्रौद्योगिकी मानवीय दशा एवं दिशा को बदलने की क्षमता रखती है उसको केवल कुछ ठोस प्रमाण के आधार पर पूर्णता खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह स्पष्ट है कि अन्य तकनीक के मुकाबले कृत्रिम बुद्धि तकनीक अधिक गंभीर है। परंतु प्रत्येक संकट के मूल में एक रोजगार छिपा होता है तो उसको ही खोजने की जरूरत है। कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग इस प्रकार से करना होगा ताकि मानव के रोजगार पर इसका कम से कम असर पड़े और सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होगी जो अकुशल श्रमिक है, उनके रोजगार को यह बिल्कुल भी प्रभावित न करें।

इसकी तकनीक एवं कार्य करने की क्षमता को देखते कौशल एवं उच्च कौशल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि कर्मचारियों को इसके माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके।

हमें अपने अतीत में भी देखना होगा क्योंकि जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आई थी तो कई स्थानों पर इसका विरोध इसी आधार पर किया गया था कि यह भविष्य में लोगों को बेरोजगार कर देगी। परंतु इसका एकदम विपरीत प्रभाव देखने को मिला इसके आने से सभी देशों को कुशल रोजगार उत्पन्न हुए। अतः अधिकतर विद्वानों का मत है कि नवीन तकनीक के आने से दीर्घकाल में रोजगार पर संकट उत्पन्न नहीं होता, अपितु कार्य करने की प्रवृत्ति एवं लोगों की भूमिका में बदलाव आ जाता है। ऐसा ही परिणाम कृत्रिम बुद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

स्कूल एवं कॉलेजों के स्तर पर बच्चों को इससे परिचित कराना होगा तथा साथ में कृत्रिम बुद्धिमता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा जिससे कि भविष्य में कर्मचारियों को समय-समय पर उच्च कौशल प्राप्त किया जा सके। साथ ही नई-नई कार्यशाला का आयोजन करना होगा जिससे कि मनुष्य इस क्षेत्र में चेतना के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सके, इसके लिए सरकार, कंपनी एवं कर्मचारियों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी के साथ-साथ एक उच्च कौशल एवं पुनरकौशल के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करा सकता है। प्रत्येक नवीन तकनीक की शुरुआत में चुनौती होती है, इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धि के समक्ष भी एक चुनौती है, परंतु इससे उच्च कौशल के माध्यम से अन्य तकनीकों की तरह निपटा जा सकता है एवं मानवीय रोजगार को इसी के अंदर खोजा जा सकता है और इसी के अंदर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। यह मानव के विवेक पर निर्भर करता है कि इस चुनौती को अवसर के रूप में बदल पाता है या नहीं।

दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने-बाने से बने हैं

समाज एवं संस्कृति

पूरे विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अनेक समाज समाहित हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग पहचान एवं संस्कृति शामिल है। पूरा विश्व अलग-अलग समाजों में विभाजित है। विश्व के समाजों की चर्चा के दौरान दक्षिणी एशियाई समाज की चर्चा करना भी अपरिहार्य हो जाता है।

दक्षिण एशिया में लगभग पूरे विश्व की एक चौथाई जनसंख्या निवास करती है, जिसका विस्तार हिमालय की गोद से लेकर हिंद महासागर तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस दक्षिणी एशियाई समाज में भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान एवं मालदीव की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां एवं पहचान को सम्मिलित किया जाता है। ज्ञात है कि दक्षिणी एशिया विश्व के सर्वाधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अतः इस क्षेत्र की बहुलता को एक खांचे में समाहित करना काफी कठिन कार्य है। यह क्षेत्र अपने आप में संस्कृतियों और पहचानों का अनूठा बिंदु है जो भाषा, धर्म क्षेत्र वह नस्ल की विविधताओं के बावजूद एक और जहां काफी समानता धारण किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें काफी असमानताएं निहित हैं। समानता एवं असमानता का यही गुण इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र की खूबसूरत संस्कृति को अपने विभिन्न रूप में लपेटे हुए हैं।

इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिनता एवं समानता को अगर भौगोलिक रूप में देखे तो हिमालय, कैलाश व हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला में बसे भारत, नेपाल, भूटान एवं पाकिस्तान में एक समान मौसमी दशाएँ होने के कारण समान खानपान एवं वेशभूषा दिखाई देती है। इसी प्रकार दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के मैदान, पठार एवं मरुस्थलीय भाग व अनेक द्वीपीय क्षेत्र इस भू-भाग की सौंदर्य को और बढ़ाते हैं तथा साथ में गंगा, ब्रह्मापुत्र एवं सिंधु जैसी सदानीरा नदियां जो एक देश से दूसरे देश में अविरल बहती रहती हैं, इस क्षेत्र की सौंदर्य में और चार चांद लगा देती हैं।

अगर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहलू की बात की जाए तो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलकर उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहलू की बात की जाए तो इसका उत्थान एवं पतन दोनों भारत एवं पाकिस्तान में सम्मिलित रूप से हुआ। भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का उत्थान हुआ जो लगभग पूरे दक्षिणी एशियाई देशों में फैला और वहां की धार्मिक सांस्कृतिक को भी प्रभावित किया।

बौद्ध धर्म को श्रीलंका में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने प्रचारित एवं प्रसारित किया। वहीं भारत का नेपाल के साथ रोटी-बेटी का संबंध माना जाता है। वही हिंदू धर्म के ग्रंथ "रामायण" के प्रसंगों में श्रीलंका एवं नेपाल का दृश्य देखे जा सकते हैं। वही खैबर दर्रे से अरब तुर्क मंगोल आक्रमणकारियों का आगमन हुआ जोकि मुस्लिम अनुयाई थे। वही शक-कुषाण-हुण आदि विदेशी आक्रमणकारी भी आए जो यहीं पर आकर इसी जमीन के हो गए।

इन सबके बावजूद यहां पर अनेक जाति संघर्ष भी हुए जो लगभग कई देशों में आज के समय में भी देखने को मिलते हैं; जैसे–हिंदू धर्म में जाति प्रथा आज भी काफी उच्च स्तर पर दिखाई पड़ती है। वहीं पाकिस्तान में बलोच, पश्तून, समाज में संघर्ष जारी है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां भी विभिन्न नृजातीय समूह व तालिबान जैसे उग्रवादी संगठन के साथ संघर्ष जारी है। वहीं मुस्लिम समुदाय का शिया, सुन्नी, अहमदी वर्गों में विभाजित हुआ है। इस तरह के संघर्ष संबंधित देश के की सांस्कृतिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं।

जहां तक यह क्षेत्र अपने आप में अपार सांस्कृतिक परंपराएं समेटे हुए हैं; जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एशियन, नीग्रोइड, मंगोलॉयड, विभिन्न नस्लों को अनेकता के साथ संगम देखने को मिलता है जो विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों, भाषाओं, वेशभूषा में अपनी परंपरा को समेटे हुए हैं। इस क्षेत्र की भाषाई विविधता एवं उसके तमाम पहलुओं पर नजर डाले तो दक्षिणी एशियाई समाज इस क्षेत्र में काफी धनी रहा है। यहां विश्व की प्राचीनतम से प्राचीनतम भाषा देखने को मिलती है जैसे भारत में तमिल व संस्कृत को प्राचीनतम भाषा में सम्मिलित किया है। भारत में हर राज्य की भाषा अलग पहचान कराती रही है। वहीं पाकिस्तान में भी सिंधी, उर्दू, पश्तो आदि भाषा का प्रयोग भारत जैसा ही होता है। वहीं नेपाल में हिंदी व पहाड़ी भाषाओं का अनूठा संगम है। वहीं श्रीलंका में तमिल भाषा का प्रयोग होता है जो स्थानीय लोगों की पहचान कभी भी एक माध्यम है। परंतु इस जातीय एवं भाषाई पहचान ने कहीं कहीं पर संघर्ष का रूप लिए हुए हैं; जैसे पाकिस्तान का बलोच, सिंधी, पश्तो संघर्ष हो या जम्मू कश्मीर में लोगों में जनांकिकीय परिवर्तन की चिंता व तमिलनाडु की तमिलों को श्रीलंका के तमिलों से जोड़ने का प्रयास कहीं न कहीं यह सब एक जातीय एवं भाषाई संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं।

खानपान के मामले में भी दक्षिणी एशियाई समाज में पूरे क्षेत्रों में मसालों एवं जायकों से काफी लगाव रहा है, लेकिन भौगोलिक विविधता के कारण खानपान में भी विविधता पाई जाती है। कहीं-कहीं पर शाकाहारी भोजन को वरीयता दी जाती है तो कहीं-कहीं पर मांसाहारी भोजन को वरीयता दी जाती है। इसके संबंध कुछ स्थानों पर धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में खानपान को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से वेशभूषा वह पहनावा का प्रभाव एक दूसरे की संस्कृति पर देखा जा सकता है जहां धोती कुर्ता, सलवार कमीज, लूंगी न केवल विभिन्न विविधताओं को दर्शाते हैं, बल्कि भौगोलिक महत्व को भी दर्शाते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संपूर्ण दक्षिणी एशियाई समाज कई स्तरों पर विविधता धारण किए हुए हैं। इसी विविधता के लक्षणों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इन सभी दक्षिणी एशियाई समाजों ने अपने आप को किसी केंद्रीय सत्ता या राजनीतिक सांस्कृतिक के इर्द-गिर्द इकट्ठा

न करके अपनी पहचान व संस्कृति के ताने-बाने में बना है। यह कभी भी एक राजनीतिक सत्ता के दायरे में फिट नहीं हुई। इसके विपरीत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन देशों के बनने का एकल आधार रहा है वह है—भाषा। भाषा के आधार पर अनेक यूरोपीय देशों का निर्माण हुआ है। इसके विपरीत 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, वह भी 1971 आते आते भाषा के आधार पर अलग हो गया। इस घटना से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक हस्तक्षेप से किसी समाज एवं सांस्कृतिक पहचान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

दक्षिण एशिया में सत्ता के सांस्कृतिक हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जब श्रीलंका में तमिल भाषी व सिहाली भाषी समुदायों पर ब्रिटिश सत्ता ने नियंत्रण कर अपने हिसाब से संचालन करने की कोशिश की तो इसका परिणाम श्रीलंका गृह युद्ध के रूप में सामने आया। वहीं जब ब्रिटिश लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत में हिंदू मुसलमानों को धर्म के आधार पर टकराव पैदा किया तो इसका परिणाम धर्म के आधार पर विभाजन मिला। इस विभाजन ने इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था कि कई वर्षों की गुलामी के बाद मिली आजादी का जश्न भी फीका कर दिया था और वहीं महात्मा गांधी को हिंसा को रोकने के लिए उपवास पर बैठना पड़ा।

परंतु दिसंबर 1971 में यह सिद्ध हो गया कि केवल धार्मिक पहचान दक्षिण एशिया में राष्ट्र के निर्माण का आधार नहीं बन सकती क्योंकि जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला संस्कृति का दमन करने के लिए सेना भेजी तो इसके विरोध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी प्रकार 2015 में नेपाल में मधेसी संकट देखने को मिला, जिनको वहां के संविधान में अपनी भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान न मिलने के कारण उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किए।

अत: संपूर्ण चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है की दक्षिण एशिया की बहु-सांस्कृतिक पहचान अपने आप में अद्वितीय है। इस क्षेत्र की राजनीतिक सत्ताएँ तभी सफल हो सकती हैं, अगर वह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करें और अगर यह ऐसा करने में यह सफल नहीं होतीं तो भारत पाकिस्तान जैसा विभाजन, श्रीलंका ग्रहयुद्ध और नेपाल में मधेसी संकट जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। दक्षिण एशिया में भारत की बात की जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान को आज भी सबसे अलग बनाए हुए है। भारत में अगर सांस्कृतिक संघर्ष हुए भी तो उनका समाधान भारत ने बड़ी निपुणता के साथ किया। अत: कोई भी राजनीतिक सत्ता न तो इसकी स्थिति बदल सकती है, न इसकी पहचान बदल सकती है।

पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है

मीडिया

"जिस पल में हमारे पास स्वतंत्र मीडिया नहीं है कुछ भी हो सकता है, एक अधिनायक वादी या किसी भी अन्य तानाशाही शासन के लिए यह संभव है कि लोगों को सूचित न किया जाए"।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है की मीडिया किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए उसकी रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत के लोकतंत्र के समक्ष अनेक खतरे हैं, परंतु लोकतंत्र की भावनाओं पर जो सीधे तौर पर आघात करता है वह है–मीडिया। मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इस मीडिया में अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और फिल्म शामिल हैं। अगर हम इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन आज के परिपेक्ष में करें तो कहीं न कहीं यह एक पक्षपातपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है और इसका हर एक पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है।

मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और अगर यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव के काम न करे तो इससे लोकतंत्र की नीव कमजोर पड़ जाती है।

लोकतंत्र में राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको लोकतंत्र की जननी समझा जाता है और राजनीति का संबंध सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से जुड़ा होता है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के मुद्दे एवं उनके कार्यों को मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है और अगर मीडिया इस कार्य में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से न निभाए तो यह कहीं न कहीं जनता के साथ पक्षपात होगा, जिससे वे चुनाव में निष्पक्ष होकर अपने मतदान का प्रयोग एक अच्छे राजनीतिक दल को नहीं कर सकते क्योंकि आज के समय में अधिकतर मीडिया राजनीतिक दलों की चाटुकारिता की भूमिका में नजर आती है। पक्षपाती मीडिया या पत्रकार सत्ताधारी राजनीतिक दल के हर कदम और निर्णय को सही दर्शाता है और कभी भी उनके गलत कार्यों की आलोचना नहीं करता। इससे लोकतंत्र या देश को नुकसान होता है क्योंकि आलोचना ही लोकतंत्र की रीढ़ है। आलोचना सरकार को सही रास्ते पर बनाए रखती है, इसीलिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं बार मीडिया चुनावों को भी प्रभावित कर देती है। चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के पक्ष में चुनावी सर्वे दिखाकर मीडिया मतदाताओं के दिमाग को पलट देती है और मतदाता चुनाव में प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन

जीतेगा या कौन हारेगा इसको भी तय करने में मीडिया की भूमिका होती है क्योंकि किसी राजनीतिक दल की छवि का निर्माण करना और उसको खराब करना जैसी यह ताकत मीडिया के पास ही होती है, वैसे किसी सामाजिक संगठन के पास नहीं। इसीलिए सभी राजनीतिक दल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

अगर मीडिया सत्ता पक्ष में आकर उसी के कार्य को गुणगान करने लगे तो इससे राजनीतिक दल द्वारा किए गए सही गलत कार्यों का भेदभाव नहीं हो सकेगा, जिससे जनता के पास सही सूचना ने पहुंचकर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में किए गए सभी कार्यों की ही सूचना पहुंचेगी यह जनता के साथ छल होगा।

अगर हम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर राजनीति की बात करें तो कई बार यह आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा अखबार या कौन सा न्यूज चैनल किस दल के पक्ष में हैं, वह किसके विरुद्ध है। कुछ न्यूज चैनल तो राजनीतिक दल के काफी नजदीक दिखते हैं और कुछ न्यूज चैनल काफी दूरी बनाए रखते हैं।

केवल किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना ही किसी मीडिया के लिए पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होता, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल की हद से ज्यादा आलोचना करना भी पक्षपातपूर्ण रवैया के अंतर्गत आता है। कई न्यूज चैनल तो 24 घंटे किसी एक राजनीतिक दल का गुणगान करते रहते हैं, इसके विपरीत कई न्यूज चैनल उसी राजनीतिक दल के 24 घंटे आलोचना में निकल जाते हैं, यह दोनों प्रकार का रवैया किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा ही है।

किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी लोकतंत्र की अपनी पहचान होती है। आज के समय में मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से भी अछूता नहीं रहा है।

समाज का मतलब है समाज में रहने वाले सभी धर्म के, सभी नस्ल के एवं सभी लिंग के सदस्यों का लोकतंत्र में बराबर की भूमिका होती है और यह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए अति आवश्यक भी है। परंतु आज के समय में पक्षपातपूर्ण मीडिया ने समाज के कई वर्गों को नीचा दिखाने की कोशिश की है जैसे कि कई फिल्मों में कुछ वर्गों को मजाक के तौर पर दर्शाया गया है; जैसे थर्ड जेंडर एवं ट्रांसजेंडर इनको फिल्मों में समाज से अलग एवं मजाक का माध्यम बनाया गया है। कई बार मौका मिलते ही सिख समाज के लिए व्यंग के बाण छोड़े गए हैं। कई बार महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है एवं महिलाओं को सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए ही दिखाया गया है।

आर्थिक लोकतंत्र भी पक्षपातपूर्ण मीडिया की वजह से खतरे में रहता है। मीडिया के अधिकतर कर्मचारी एवं मीडिया मालिक कारपोरेट घराने से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए यहां पर राजनीतिक एवं कारपोरेट घराने की एक तुकलक बंदी नजर आती है जोकि एक दूसरे के हित साधने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मीडिया के लोग अपना एवं राजनीतिक हित साधने के लिए गांव की समस्याएं: किसानों की आत्महत्या; बेरोजगारी; आदि मुद्दे को अपने

न्यूज चैनल में कोई वरीयता नहीं देते। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अधिकतर मीडिया कर्मी बड़े-बड़े शहरों से संबंध रखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में से इनके कवरेज को जगह नहीं मिल पाती।

टीआरपी की दौड़ में अधिकतर मीडिया घरानों ने एक कारपोरेट मोड़ ले लिया है, मीडिया हाउस के सौजन्य से उन्होंने अनेक लोगों को रातों-रात सेलिब्रिटी बना दिया है। जो समाचार ज्यादा टीआरपी जनरेट करते हैं उनको अधिक बार दिखाया जाता है जबकि उल्लेखनीय समाचारों को उपेक्षित कर दिया जाता है; जैसे कई क्षेत्रों में आई बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि समस्याएं मीडिया के लिए कवरेज नहीं बन पातीं।

हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय मीडिया को इस बात की ओर संकेत किया है कि "एक उत्साही लोकतंत्र के लिए चर्चा और असंतोष महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक संस्थानों को उनके सभी कार्यों और आयके लिए जवाबदेह होना चाहिए, हमेशा तर्कशील भारतीय के लिए स्थान होना चाहिए, न की पक्षपात पूर्ण भारतीय के लिए मीडिया को नेताओं और जनता के बीच मध्यस्थ होना चाहिए।"

हालांकि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, परंतु उसका यह प्रभाव ज्यादा अहमियत रखता है कि पक्षपात किस परिपेक्ष में किया जा रहा है; जैसे कि मेट्रो, बसों, इत्यादि में महिलाओं के लिए अलग से कोच रिजर्व होते हैं वहां पर पक्षपात सकारात्मक दिशा में होता है, परंतु यह तब बुरा होता है जब किसी को सोची समझी साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक भेदभाव व आरक्षण की संपूर्ण नीति के मूल में यही बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए कई बार सकारात्मक पक्षपात जरूरी है। हमारे मीडिया का कुछ ऐसा हिस्सा भी है, जिन्होंने फिल्म के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों की समस्याओं को फिल्मों में दर्शाया है जैसे कि "आर्टिकल 15" जैसी फिल्म दिखाती है कि समाज में वंचित वर्ग का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, वहीं "मुल्क" जैसी फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। इस तरह के पक्षपात को हम बुरा नहीं कहेंगे जोकि समाज के वंचित वर्ग की तस्वीर दुनिया के सामने लाता है और फिर उसको सुधारने की गुंजाइश पैदा करता है।

इस संपूर्ण परिचर्चा से यह पता चलता है कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, उसमें लोगों की भागीदारी इसी बात से प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने उसकी कैसी तस्वीर पेश करता है। अगर मीडिया समाज के वंचित वर्ग, किसान, महिलाओं आदि की समस्याओं को स्वतंत्र रूप से रखता है तो देश का समावेशी विकास निश्चित होगा और वही अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य न करके पक्षपात पूर्ण रवैया से कार्य करता है तो जाहिर सी बात है, संपूर्ण लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। मीडिया का पक्षपात पूर्ण रवैया अत्यंत चिंता योग्य है यदि समय रहते इस रवैया पर आत्ममंथन नहीं किया जाता तो वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे और आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा महसूस करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं

शिक्षा/स्वास्थ्य

किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने और कमजोर होने के अनेक कारण होते हैं, जिनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी देश को मजबूत बनाने के लिए मजबूत लोगों का एक समूह होता है इस समूह में डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक, नौकरशाह, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, फिल्मकार, वकील, पत्रकार, किसान, एवं मजदूर आदि की भूमिका होती है अर्थात् एक व्यापक वर्ग देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र में यह वर्ग एकाएक तैयार नहीं हो जाता, इसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, एवं आर्थिक रूप से तैयार करने के लिए अनेक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनमें से स्वास्थ्य एवं शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है।

बचपन वह समय होता है जब बच्चे को स्वास्थ्य एवं देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताकि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। बचपन की परवरिश ही यह दिशा निर्धारित करती है की उस बच्चे का भविष्य किस दिशा में जाएगा। उसके रुझान और क्षमताओं को समझने के लिए उस पर सर्वाधिक शैक्षणिक निवेश करने की जरूरत होती है जिससे कि उसकी नीव मजबूत हो सके। परंतु यह एक दुर्भाग्य की बात है कि देश में प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य की हालत कमोबेश एक जैसे और बदतर है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिक सबसे ज्यादा मूल्यवान संसाधन होते हैं जो उस देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं तो इन मूल्यवान संसाधन को अधिक बेहतर बनाने के लिए किसी भी देश को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि उस राष्ट्र को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके।

शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं हैं। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि कोई भी देश शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके ही आर्थिक सामाजिक सूचकांकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के बिना विकास की संकल्पना अधूरी है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा इसकी बढ़ती हुई लगातार जनसंख्या को देखते प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना इसके लिए एक समस्या का कारण हो सकता है। देखा जाए तो हाल ही के समय में भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं ढांचागत स्तर पर काफी प्रगति हुई है, जिसके चलते देश की विकास दर तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों की तरक्की के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है, परंतु यह विकास काफी नहीं है, इससे शिक्षा

व्यवस्था की मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की बात की जाए तो वैश्विक पटल पर बहुत से संस्थान वैश्विक स्तर पर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की सूची जारी करते हैं; जैसे "टाइम्स हायर एजुकेशन" के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के सिर्फ 5 शिक्षण संस्थान शामिल है।

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच आज भी बहुत ज्यादा लोगों की पहुंच से बाहर है। शिक्षा के सभी स्तरों जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तथा उच्च शिक्षा में आज भी आम नागरिकों की समान और आसान पहुंच नहीं हो सकी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बाद भी आज भी भारत में शिक्षा कुछ सीमित वर्गो तक ही अपनी पहुंच बना पाई है। भारतीय संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है उसके बावजूद भी शिक्षा हमारे देश में सभी लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति नाममात्र ही है। इसके अनेक कारण हैं एक तो कई राज्यों में स्कूलों तक पहुंचने के बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं और हमारे देश में स्कूलों की उपलब्धता भी बहुत कम है तथा स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है एवं सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने की पहल आदि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरी है। जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूलों और कॉलेजों की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चे उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती उसके गुणवत्ता की भी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का स्तर बहुत ही कमजोर है, पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता की कमी, बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षा प्रबंधन की कमी, अच्छे शिक्षकों की कमी, प्रति हजार बच्चों पर शिक्षकों की उपलब्धता कम, प्रशिक्षण का निम्न स्तर और स्कूल प्रशासन जैसी अनेक समस्याएं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली शोधपूरक होने के बजाय सैद्धांतिक एवं अव्यावहारिक अधिक है। हमारे यहां सीखने के बजाय रटने की प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सबसे ज्यादा ध्यान अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने पर होता है। विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की नवीन गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में उलझा कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अत्यधिक ध्यान रहता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली को कहीं न कहीं भारतीय समाज में फैली असमानता भी प्रभावित करती हैं। असमानता के चलते आज भी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। मिड डे मील पर किए गए एक सर्वे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि अधिकतर गरीब बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए ही स्कूल में आते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार के द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी कोई संतोषजनक सुधार होता नहीं दिखाई दिया। लगातार शिक्षा के बजट में हो रही कटौती भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिस पर सरकार

को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए "पीपीपी" मॉडल को अपनाने की जरूरत है।

अगर भारत में स्वास्थ सुविधाओं की बात करें तो यह भी एक गंभीर समस्या है। आजादी के 70 साल बाद भी हम स्वास्थ क्षेत्र में कोई खास कदम नहीं उठा पाए, हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम तो किया है, लेकिन वह हमारे देश की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर काफी नहीं है।

स्वास्थ्य भारतीय संविधान में राज्य सूची में शामिल है, यानी कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने राज्यों में नागरिकों को सस्ती एवं सुविधा पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, हालांकि सरकार द्वारा अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका काफी अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला है; जैसे कि टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, आदि कार्यक्रमों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में जनसंख्या के आधार पर सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर आज भी भारत में प्रति हजार आबादी पर एक डॉक्टर का होना आवश्यक है जोकि इसको पूरा करने में अभी भी हम असमर्थ हैं। एक तो भारत में मेडिकल कॉलेजों की बहुत भारी कमी है और दूसरी तरफ डॉक्टर बनना काफी महंगा होता है। अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत नहीं होते, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ सुविधाओं की काफी किल्लत है। बहुत सी महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तपेदिक, खसरा, कालाजार, हैजा, डारिया जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी बदलती जीवन शैली के अनुसार अनेक लोग शुगर, हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा महंगी साबित हो रही हैं जो कि भारत में आम लोगों की पहुंच से बाहर है।

देश में अनेक स्वास्थ सुविधाओं की कमियों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति की है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के आधार पर इसको काफी नहीं माना जा सकता। अगर भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा होना है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में और भी अधिक वैज्ञानिक तरीके से प्रगति करने की आवश्यकता है ताकि आए दिन समाचार पत्रों में दिखाई देने वाली खबर जैसे कोई व्यक्ति कंधे पर मरीजों को बैठाकर दुर्गम क्षेत्रों से स्वास्थ्य केंद्रों तक लाता है, इन सब से निजात पाई जा सके।

विस्तार में कहा जाए तो भारतीय व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मजबूती से और वैज्ञानिक तरीके से विस्तार करने की जरूरत है ताकि हमारी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इनकी कमजोरी आधार न बने।

मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए

दर्शन

"आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य अपकी नियति बन जाती है।"

–महात्मा गांधी

गांधीजी द्वारा कही गयी उपर्युक्त बात से स्पष्ट है कि कोई भी मूल्य प्रारंभ में एक व्यक्तिगत आदत होता है जो कालांतर में सामाजिक व्यवहार बन जाता है और उसी के आधार पर संपूर्ण समाज का व्यवहार निर्धारित होता है। मूल्यों की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने तरीके से होती है। अर्थशास्त्र में मांग के आधार पर, नीतिशास्त्र में उचित और अनुचित के आधार पर तथा सौंदर्यशास्त्र में सुंदर और कुरूप के आधार पर मूल्यहीन और मूल्यवान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन मानवता के संदर्भ में मूल्यों का संबंध नैतिक आदर्शों जैसे शांति, न्याय, सहिष्णुता, इमानदारी इत्यादि से होता है। वर्तमान में हम एक अत्यंत भौतिकवादी संसार में जी रहे हैं जहां शांति तो है लेकिन बिना समृद्धि के, सफलता तो है लेकिन बिना आनंद के। आज व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी संपत्ति से होता है, भौतिक संपत्ति के समक्ष व्यक्ति के नैतिक और माननीय कार्यों को कम महत्त्व दिया जाता है।

केवल मानव पर ही नैतिकता के नियम लागू होते हैं क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है और अपने अलावा दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है। लेकिन वर्तमान में मानवता नैतिकता से दूर होती जा रही है, आज मानव का एकमात्र उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना मात्र है, समाज पूर्व में प्रचलित 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के मंत्र को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं 'सिर्फ मैं और मैं' की धारणा ने समाज से प्रेम, भाईचारा, सहयोग आदि जैसे मानवीय मूल्यों को विघटित कर दिया है। मानवीय मूल्यों में विघटन के कारणों की ओर देखा जाए तो अति भौतिकता इसके लिए प्रमुख कारण नजर आता है, जिसमें मानव को किसी भी कीमत पर अधिकतम सुख चाहिए इसके लिए वह किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार है और इसी के परिणामस्वरूप शोषण जैसी समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं और समाज में कई वर्गों का निर्माण हो गया है और इन वर्गों के मध्य खाई अधिक गहरी होती जा रही है।

"प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं को पूरा पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसकी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं।" —***महात्मा गांधी***

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि यदि मानव पर्यावरणीय मूल्यों के अनुसार आचरण करते हुए केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करे तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आज मनुष्य पर्यावरण की चिंता किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन करता जा रहा है जिसके कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पर्यावरणीय नैतिकता के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने का अधिकार है, लेकिन जैसा की विदित है कि पृथ्वी पर कई प्रजातियां मानवीय लोभ के कारण विलुप्त हो चुकी हैं, अगर मानव का व्यवहार नहीं बदला तो एक दिन समस्त पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर केवल मानव प्रजाति ही शेष रह जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग सतत विकास जैसे मूल्यों को अपनाएं व अति भौतिकता को त्याग कर आत्मसंतोष के मूल्य का आचरण करें, जिससे मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताएं तो पूर्ण हो ही जाएंगी साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव व शोषण न हो, सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो तथा किसी को भी अनुचित विशेषाधिकार प्राप्त न हो। लेकिन भारतीय समाज के साथ-साथ पाश्चात्य समाज में भी प्राचीन काल से ही भेदभाव व शोषण जैसे नकारात्मक मूल्य विद्यमान रहे हैं। हालांकि पश्चिम में पुनर्जागरण के बाद धर्म के आधार पर शोषण लगभग समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद ऊपजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने आर्थिक शोषण को बढ़ावा भी दिया। वहीं भारतीय समाज में जाति के आधार पर शोषण लंबे समय से होता आया है और कुछ क्षेत्रों में यह आज भी विद्यमान है। साथ ही समाज में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जा ही दिया गया और उन्हें केवल उपभोग की वस्तु ही माना गया। आज भी कुछ रूढ़िवादी लोग लैंगिक भेदभाव जैसे नकारात्मक मूल्यों से ग्रसित हैं और महिलाओं की भूमिका केवल ग्रहणी तक ही सीमित मानते हैं, उन्हें पढ़ने-लिखने, नौकरी-व्यवसाय आदि के योग्य नहीं मानते। यदि इस प्रकार के सामाजिक शोषण और भेदभावों को समाप्त करना है तो समाज को संविधान में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक न्याय जैसे मूल्यों को अपनाना होगा और उन्हें अपने अंत:करण में समाहित करना होगा तभी मानवता इन समस्याओं से निजात पा सकती है। वर्तमान में विश्व भर में फैली धार्मिक कट्टरता का कारण धर्म की गलत व्याख्या और बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार है; जैसे किसी धर्म विशेष के लोगों द्वारा अन्य धर्म की मान्यताओं को निषिद्ध मानकर उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया जाना। धार्मिक उन्माद और कट्टरता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संपूर्ण मानवता को 'वसुधैव कुटुंबकम' जैसे मूल्यों को अपनाना होगा। मानव को केवल मानवता की दृष्टि से देखने पर किसी भी प्रकार के धार्मिक संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा।

वर्तमान समय में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या यह इंगित करती है कि पारिवारिक मूल्यों में पहले की अपेक्षा अधिक गिरावट आ गई है क्योंकि समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है जिसमें परिवार को केवल पति-पत्नी और बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकल परिवार के चलन के कारण परिवार के सदस्य माता-पिता या अन्य वृद्धों को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। इसके कारण वृद्धों की समस्याएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही परिवार में उन नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं हो पाता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वृद्ध जनों द्वारा परिवार के छोटे बच्चों को कहानी-किस्सों के माध्यम से आत्मसात कराए जाते हैं। भारतीय समाज में प्रारंभ से ही संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है और इसी के इर्द-गिर्द समाज का ताना-बाना बुना जाता था। आज प्रत्येक समाज को संयुक्त परिवार के इस मूल्य को अपनाना चाहिए, भारत सरकार ने भी एक कानून के माध्यम से वृद्धों की देखभाल बच्चों द्वारा करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका लाभ भारत को कालांतर में नैतिक रूप से सुदृढ़ व सक्षम नागरिकों के रूप में प्राप्त होगा।

जैसा कि विदित है, कुछ मूल्य समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कुछ नैतिक मूल्य जो हर परिस्थिति और समय में अपरिवर्तनशील होते हैं; जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, ईमानदारी आदि। आज मानवता को इन्हीं स्थाई नैतिक मूल्यों को अपनाकर अपना वर्तमान स्वरूप बदलना होगा जिसमें अति भौतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता आदि जैसे नकारात्मक मूल्य अधिक प्रभावी हो गए हैं। पर्यावरणीय नैतिकता को अपनाकर सतत विकास को बढ़ावा देना होगा, संसाधनों का विकेंद्रीकरण करके आर्थिक शोषण और अतार्किक भेदभाव को समाप्त करना होगा, महिलाओं को समानता का अधिकार देना होगा, पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार **'नारी तू नारायणी'** जैसे आदर्शों की स्थापना करनी होगी तथा जाति, धर्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव का अंत करना होगा, तभी मानवता उन आदर्श मूल्यों के अनुरूप हो पाएगी, जैसा उसे होना चाहिए।

विवेक सत्य को खोज निकालता है

दर्शन

'यदभूतहितमत्यंत तत् सत्यम्'

उपर्युक्त उक्ति का तात्पर्य है 'जो वाक्य सभी प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी हो वही सत्य है'। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने भी सत्य के लिए सबके हित को ही कसौटी माना और सत्य की खोज के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक जिसे बुद्धि भी कहा जाता है और जिसका कार्य विचार करना होता है, जगत के समस्त जीवों में मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है क्योंकि मनुष्य विवेकशील है अर्थात् मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर विचार कर सकता है। पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट के अनुसार "मैं सोचता हूं अत: मैं हूं" अर्थात् अस्तित्व उसी का है जो विचारवान है और विचारवान होने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है।

विभिन्न क्षेत्रों में सत्य की खोज का तात्पर्य अलग-अलग होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ पारलौकिक सत्ता का अस्तित्व खोजना या उसकी सत्ता स्थापित करना होता है, जिसे सामान्य भाषा में ईश्वर या ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना अत्यधिक कठिन है, अत: इसके लिए दार्शनिकों ने विभिन्न विषयों के बीच भेद करके पारलौकिक सत्ता के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए, "भेद करने की शक्ति ही विवेक है"। वेदांत के अनुसार ब्रह्म को जगत से, पदार्थ को आत्मा से, सत्य को असत्य से पृथक करने की क्षमता ही विवेक है। महात्मा बुद्ध ने भी जब अपने चारों ओर दुखी लोगों को देखा तो मन में प्रश्न उठा किक्या संसार में सभी दुखी हैं? दु:ख का कारण क्या है? और इसका निदान कैसे होगा? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने तप करके अपने विवेक को विकसित किया और इन प्रश्नों के उत्तर खोज निकाले तथा बौद्ध दर्शन की स्थापना की, जिसके अनुसार समस्त संसार दुखमय है, इस दुख का कारण है और दुख निवारण के मार्ग हैं। इसी प्रकार महावीर, शंकराचार्य, माधवाचार्य और अन्य महान दार्शनिकों ने ईश्वर, जगत, आत्मा आदि के संबंध में विवेकशील विचार प्रस्तुत किये, जिसके कारण द्वैतवाद, स्यादवाद, अद्वैतवाद जैसे दर्शनों का विकास हुआ और दार्शनिक सत्य प्राप्त हो सका।

लेकिन, सत्यान्वेषण केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक आदि में भी किया जाता है। समाज में विभिन्न समस्याएं जैसे शोषण, अत्याचार, भेदभाव आदि प्राचीन काल से ही व्याप्त रहे हैं, जिसका

कारण लोगों में व्याप्त अज्ञान एवं अशिक्षा थी। जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया, लोग अधिक विवेकशील होते गए जिससे लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यह कृत्रिम भेदभाव अतार्किक है। विभिन्न समस्याओं व कुप्रथाओं का निवारण भी बुद्धि द्वारा विवेकपूर्ण तर्क व विचार करने के कारण हो सका। राजा राममोहन राय जैसे बुद्धिजीवियों ने समाज में विवेकपूर्ण चर्चा के माध्यम से प्रचलित कुप्रथाओं व रूढ़ियों की आवश्यकता तथा उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न किए, जिसके फलस्वरूप समाज में यह अवधारणा बनी की धर्म के आधार पर किए जाने वाले दावे सत्य नहीं हैं, बल्कि सत्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजा राममोहन राय ने समाज में लोगों के विवेक को जागृत किया जिसके फलस्वरूप लोगों के मन में इन रूढ़ियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हुआ और लोगों को सत्य का पता चला, जिसने इन कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायता की। कुछ इसी प्रकार के प्रयास पूर्व में पाश्चात्य देशों में किए गए जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, जहां पर लोगों में जागरूकता के माध्यम से विवेक के विकास को प्रोत्साहित कर धार्मिक रूढ़िवादिता पर प्रहार करके सत्य ज्ञान को जनता तक पहुँचाया गया।

मध्यकाल में वैज्ञानिक विषयों के संबंध में भी रूढ़ियां प्रचलित थीं; जैसे इस जगत का निर्माण एक अलौकिक सत्ता के द्वारा किया गया है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है; आदि लेकिन इन रूढ़ियों को चुनौती देते हुए कुछ विवेकशील विद्वानों जैसे गैलीलियो, कॉपर निकस आदि ने वैज्ञानिक उपकरणों का विकास करके यह साबित किया कि ब्रह्मांड व पृथ्वी के निर्माण के संबंध में चर्च द्वारा कही गई बातें सत्य नहीं है और इसके लिए उन्होंने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। यदि प्रारंभ में वैज्ञानिक खगोल विज्ञान में अन्वेषण प्रारंभ न करते तो आज बिग बैंग, ब्लैक होल, डार्क मैटर आदि जैसे विषयों के बारे में हम शायद इतना नहीं जान पाते, जितना जानते हैं। क्या होता यदि बीमारियों को ईश्वरीय प्रकोप मानकर उनके निदान के लिए कोई वैज्ञानिक प्रयास नहीं किए जाते? उनके उपचार के लिए सिर्फ ईश्वरीय कृपा ही एकमात्र साधन मान लिया जाता? लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उन बीमारियों पर अनुसंधान किये और उनके सही कारणों और उपचारों को खोज निकाला।

लेकिन, जिस विवेक को सत्य खोजने का माध्यम माना जाता है क्या वह जन्मजात है या उपार्जित है? इस प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दार्शनिकों के अनुसार अलग-अलग है। कुछ बुद्धिवादी दार्शनिकों का मानना है कि विवेक जिसे बुद्धि भी कहा जाता है वह जन्मजात होता है क्योंकि मानव को अपने अस्तित्व का ज्ञान जन्म से ही होता है और अस्तित्व बोध विवेकशीलता के कारण ही हो सकता है जबकि कुछ दार्शनिकों के अनुसार विवेक उपार्जित होता है क्योंकि उनके अनुसार यदि किसी मनुष्य को जन्म से ही जंगल में पशुओं के बीच छोड़ दिया जाए तो उसे अपने मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। मानव को अपने मनुष्यत्व का ज्ञान अन्य मनुष्यों को आचरण करता हुआ देखकर ही होता है। इस वाद-विवाद का उत्तर जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य के विवेक के विकास में शिक्षा व प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण

स्थान होता है, हालांकि मनुष्य में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन यह कहना कि मनुष्य जन्म से ही पूर्णत: विवेकशील होता है, सही नहीं होगा।

वस्तुत: प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सत्य सार्वभौमिक व देश-काल निरपेक्ष होता है? यदि दार्शनिक विचारों को सत्य कहा जाए जैसा कि उनके प्रतिपादक मानते हैं तो यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रत्येक दार्शनिक विचार की व्याख्या अलग-अलग है; जैसे ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर ही सत्य है जबकि बौद्ध दर्शन के अनुसार ईश्वर की सत्ता नहीं होती बल्कि क्षणिक जगत सत्य है; वही शंकराचार्य के अनुसार न तो ईश्वर सत्य है और न ही जगत, बल्कि ब्रह्मसत्य है और केवल उसी की सत्ता है। इस प्रकार की दार्शनिक समस्याओं के निदान के लिए जैनियों ने स्यादवाद का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार प्रत्येक विचार तथा वस्तु देश-काल व परिस्थिति सापेक्ष होती है। यदि कोई विचार आज सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि वह भविष्य में भी सत्य होगा या भूतकाल में सत्य रहा होगा। लेकिन यदि बात गणित व भौतिक विज्ञान के नियमों की, की जाए तो इनके नियम सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसे गणित में $2+2=4$ होते हैं यह तथ्य देश काल और परिस्थिति निरपेक्ष होता है क्योंकि $2+2=4$ हर स्थिति में सत्य होगा, ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी अभी तक ज्ञात हर परिस्थिति में समान ही होते हैं।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि सत्य की खोज के लिए विवेक अति आवश्यक है विवेक के अभाव में कोई भी सभ्यता जड़ हो जाएगी। बुद्ध, जैन, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, गांधीजी आदि महापुरुषों ने अपने विवेक का अधिकतम इस्तेमाल करके अपने-अपने क्षेत्र में सत्य ज्ञान की खोज की। लेकिन विवेक का विकास करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को उचित व प्रभावी शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा से विवेक का विकास होता है जो सत्यान्वेषण के लिए साधन का कार्य करता है, वहीं सत्य ज्ञान मनुष्य को अधिक विवेकशील बनाता है, इस प्रकार विवेक और सत्य ज्ञान के बीच एक चक्रीय संबंध स्थापित हो जाता है।

व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो

समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इस वाक्य का अर्थ है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुरूप संपूर्ण समाज की आवश्यकताएं भी होती हैं, इसलिए व्यक्ति कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए इसके बीच का अंतर समाज का भविष्य निर्धारित करता है। किसी भी समाज में आदर्श पुरुष के निर्धारण के लिए इसी मानदंड को अपनाया जाता है क्योंकि एक आदर्श पुरुष वह होता है जो अन्य लोगों स्वयं से ज्यादा महत्व देता है और स्वयं से पहले दूसरों के बारे में विचार करता है। प्रेम, त्याग, न्याय, सहिष्णुता, आत्मसंतोष, परहित आदि एक आदर्श पुरुष के गुण होते हैं।

व्यक्ति की आवश्यकताओं को कई कारक प्रभावित करते हैं; जैसे उस स्थान की भौगोलिक स्थिति जहां वह रह रहा है, यदि व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां अधिक ठंड पड़ती है तो उस स्थान पर सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ हद तक शराब सेवन अनिवार्य होता है, लेकिन जिन स्थानों पर तापमान सामान्य होता है, जैसे कि भारत वहां शराब का सेवन करना अनिवार्य नहीं है और यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि अपने आनंद के लिए शराब का सेवन करता है तो वहां के लोग इसे घृणित व वर्जित मान सकते हैं। चूँकि भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों में शराब के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पायी जाती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति शराब सेवन को उचित मानता है तो संपूर्ण समाज भी उसे उचित माने। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गुजरात और बिहार में शराब को सामाजिक बुराई मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इन प्रदेश सरकारों का मानना था कि शराब सेवन के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही थी जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक घातक स्थिति है। कई लोगों ने इस प्रतिबन्ध का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आनंद के लिए शराब पीना उनका अधिकार है, लेकिन उनका यह अधिकार सामाजिक व्यवस्था के विपरीत होने के कारण उनके इस तर्क को नकार दिया गया और व्यक्ति के उस गैर जरूरी अधिकार के ऊपर संपूर्ण समाज के हित को वरीयता दी गई।

किसी भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है। इन कानूनों का उद्देश्य मानव व्यवहार को तार्किक रूप से विनियमित कर समाज

में संतुलन को बनाए रखना होता है। व्यक्ति के लिए क्या श्रेयस्कर और सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्धारण समाज के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें संहिताबद्ध कर कानून का रूप दे दिया जाता है, व्यक्ति के लिए किए गए यह उपाय ही सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। कई बार लोग अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके यह हित समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं और क्या वाकई में उनके हितों की पूर्ति से सामाजिक उद्देश्य भी पूर्ण हो सकेंगे? इसी के चलते समाज में कई ऐसी प्रवृत्तियां प्रचलित हो जाती हैं, जिसका दीर्घकाल में समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे क्या आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संकेंद्रण समाज के लिए हितकारी है? क्या जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव समाज के लिए हानिकारक नहीं है? इन समस्याओं के नकारात्मक प्रभावों से समाज को बचाने के लिए और कुछ वर्गों को छोड़कर बहुसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कई जनहितैषी कानूनों जैसे विभिन्न प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है ताकि इनके माध्यम से व्यक्ति और अंत में समाज का समग्र विकास हो सके।

व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को यथार्थ और आदर्श के अंतर से समझा जा सकता है, यथार्थ वह है जैसा व्यक्ति वर्तमान में है जबकि आदर्श का संबंध व्यक्ति को कैसा होना चाहिए से है। यथार्थ स्थिति समय व परिस्थितियों के अनुसार सदैव बदलती रहती है जबकि आदर्श हमेशा अपरिवर्तित रहता है, आदर्श की वह स्थिति है जो किसी भी व्यवस्था को अनंत काल तक बने रहने में उसे सक्षम बनाती है। वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाए तो यथार्थ यह है कि भौतिकता वाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को वातानुकूलन, बड़े वाहन, बड़े-बड़े भवन जैसी पूरक सुविधाएं, जोकि कतई आवश्यक नहीं है, चाहिए जो व्यक्ति के सुखमय जीवन को कथित तौर आरामदेह तो बनाते हैं लेकिन वास्तव में इन सुविधाओं के मूल्यों का आकलन किया जाए तो वर्तमान में उपस्थित कई महत्वपूर्ण संकटों जैसे ग्लोबल वॉर्मिंग, पारिस्थितिकी असंतुलन, खाद्यान्न की कमी के लिए कहीं न कहीं इन सुविधाओं के लिए प्रयुक्त साधन ही है। जबकि एक आदर्श स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी केवल उतने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और संसाधन दीर्घकाल तक प्रयुक्त करने के लिए संरक्षित रहे ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए देखा जाए तो किसी व्यक्ति को वातानुकूलित बड़े भवन अपने लिए आवश्यक लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसकी यह आवश्यकता समाज के लिए हितकारी भी हो।

जिस दौरान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था और पूंजीपति वर्ग द्वारा उत्पादन के लिए अधिकतम संसाधनों का दोहन और सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जा रहा था, उस दौरान कार्लमार्क्स ने पूर्वानुमान लगाया था कि पूंजीवादी व्यवस्था समाज के कुछ ही वर्गों को अधिकतम लाभ प्रदान कर रही है, इसलिए यह संपूर्ण समाज के हित में नहीं है और जब

इस व्यवस्था से शोषित वर्ग खिन्न हो जाएगा तब सामाजिक क्रांति होगी और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तित कर दी जाएगी। चूंकि कार्लमार्क्स ने यह भविष्यवाणी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के आधार पर की थी, इसलिए हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक समय के बाद संपूर्ण विश्व में क्रांतियां हुईं और नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो वह सामाजिक व्यवस्थाएं जो संपूर्ण समाज के हित में नहीं होतीं, चाहे वह कुछ वर्गों के लिए लाभदायक हो, उन्हें परिवर्तित कर ही दिया जाता है।

क्योंकि सामाजिक ताना-बाना ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है, इसलिए सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन है। यदि इनमें से कुछ व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन या उनमें ह्रास होगा, जिसके कारण सामाजिक ताने-बाने में व्यवधान उत्पन्न होगा और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी इसलिए प्रत्येक सभ्य समाज में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी आरोपित किए जाते हैं ताकि वह किसी अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सके और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यदि बात अधिकारों की की जाए तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार होते हैं, यह अधिकार यह बताते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है जैसे यदि किसी व्यक्ति को जीवन में प्रगति करनी है तो उसे शिक्षित होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है जब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से समाज भी उन्नति करेगा, इस प्रकार शिक्षा का अधिकार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है।

निष्कर्षत: देखा जाए तो जिस प्रकार ईटों के अस्तित्व के बिना भवन का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व के बिना समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए यदि समाज की इकाई व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बेहतर नागरिक अति आवश्यक है। ऐसा कुछ भी जो समाज के लिए हानिकारक हो व्यक्ति के लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता, यदि हमें पूरी मानव जाति का भला करना है तो इसके लिए समाज का भला करना होगा और समाज का भला तभी हो सकता है जब हम व्यक्तिगत लालच से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज को साध्य मानते हुए स्वयं का साधन के रूप में उपयोग करेंगे।

स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं

दर्शन

"मनुष्य गलतियों का पुतला है" और "गलतियां इंसान से ही होती हैं" इन दो लोकोक्तियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य से कभी न कभी गलतियां अवश्य होती हैं और इससे यह भी स्पष्ट है कि सभी को इस बात का एहसास है कि वह गलतियां करते हैं। आज समाज और मानव जिस अवस्था में है उसका कारण ही यह है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास है और वह निरंतर इनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ता है। संसार में प्रत्येक सफल इंसान की सफलता का कारण उसके द्वारा किए गए अथक प्रयास और उन प्रयासों की असफलता में सुधार करने की निष्ठा ही है। अपने प्रयासों में असफलता और सुधार की निष्ठा केवल व्यक्ति ही नहीं, अपितु राष्ट्रों की समृद्धि और सफलता के लिए भी आवश्यक है।

जब कोई वैज्ञानिक नए आविष्कार या खोज करने के प्रयास करते हैं तो उन्हें कई बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन वैज्ञानिक इन असफलताओं से डरते वह घबराते नहीं हैं और असफलताओं के कारणों को खोज कर उनमें सुधार करके पुनः प्रयास करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन लेकिन जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सकारात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए हैं, जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। थॉमस एडिशन इसी जज्बे के कारण वे बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो सके क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके तरीकों में कमी है और उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि एडिशन अपने तरीकों में कमी को स्वीकार नहीं करते और उनमें सुधार नहीं करते तो वह कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार इसरो भी आज सफलताओं की ऊँचाइयों को छू रहा है तो इसका कारण भी वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर सुधार करते हुए बारंबार प्रयास करते रहना ही है।

व्यक्ति की ही तरह कोई समाज या राष्ट्र भी जब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें ठीक नहीं करता तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपनी गलती को स्वीकार न करने के कारण पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर खड़ा है और दूसरी तरफ वह FATF की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किए जाने के खतरे का सामना कर रहा

है। यदि पाकिस्तान यह मान ले कि वह आतंकवाद का पोषक है और अब वह अपने यहां से आतंकवाद को समाप्त करके देश का विकास करने के लिए प्रयास करेगा तो सभी देश पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे आएंगे, जिससे पाकिस्तान के लोगों का जीवन बेहतर हो सकेगा। इसी प्रकार मध्य पूर्व के कई देश अपनी रूढ़िवादी मानसिकता को अभी तक सही मानते हैं और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करते हैं जिसके कारण यह देश अभी भी कई मायनों में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, हालांकि अरब के कुछ देशों में पेट्रोलियम की अकूत संपदा के कारण आर्थिक समृद्धि तो हो गई है, लेकिन यह देश विकसित नहीं हो सके क्योंकि विकास के लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र, लैंगिक समानता आदि नागरिकों को प्रदान करने में असफल रहे हैं। यदि यह देश यह स्वीकार करें की इनके रूढ़िवादी मूल्य वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं है और उनमें सुधार करने या उन्हें बदलने की आवश्यकता है तो यह देश भी विश्व के अन्य विकसित देशों की तरह समृद्ध व खुशहाल हो सकते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में देखा जाए तो अशोक महान को कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर यह एहसास हुआ कि उनका युद्ध करने का निर्णय गलत था जिसके कारण लाखों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए सम्राट अशोक ने हिंसा का सदा के लिए त्याग कर दिया और अपने राज्य में सभी प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा स्वयं अहिंसा के प्रचारक बन गए। सम्राट अशोक द्वारा समाज से हिंसा को समाप्त करने की निष्ठा के कारण ही भारतीयों में अहिंसा जैसे महत्वपूर्ण मूल्य का समावेश हो सका और कालांतर में बौद्ध धर्म के माध्यम से यह विचार संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया गया। लेकिन दूसरी ओर मध्यकाल में यूरोपीय समाज के चरित्र को देखने से पता चलता है कि यूरोप के अधिकांश देश शोषक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अलग-अलग देशों पर अधिकार कर वहां की जनता को गुलाम बनाया और उनका असीमित शोषण किया। इन यूरोपीय देशों की अति लालसा के कारण ही संसार को दो विश्व युद्धों की विभीषिका झेलनी पड़ी, उसके बावजूद भी इन देशों के शासकों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इन विश्व युद्ध का कारण उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, इसके स्थान पर वे एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। यदि यह देश अपने चरित्र की वास्तविक और अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को स्वीकार कर साम्राज्यवाद का विस्तार न करते तो शायद विश्व आज कई समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता।

यहां दो पहलू महत्वपूर्ण हैं एक स्वीकारोक्ति का साहस और दूसरा सुधार करने की निष्ठा, लेकिन सफलता के लिए इन दोनों पहलुओं की आवश्यकता होती है। यदि सुधार करने की निष्ठा के बिना स्वीकारोक्ति का साहस आ भी जाए तो भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार यदि सुधार करने की निष्ठा हो, लेकिन स्वीकारोक्ति का साहस नहीं हो तो भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति में कुछ करने का सामर्थ्य तो जरूर होता है, लेकिन वह अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार

नहीं करता क्योंकि उसे यह लगता है कि ऐसा करने से लोग उसका उपहास करेंगे और उसे लज्जित होना पड़ेगा। विकसित देश उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस गैसों का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कर रहे हैं और उसके कारण जलवायु परिवर्तन का संकट संपूर्ण विश्व पर मंडरा रहा है, लेकिन यह देश यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जलवायु परिवर्तन में उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन का सबसे अधिक योगदान है, बल्कि यह देश भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इन समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं और अपने उत्सर्जन में कमी न करके भारत व चीन पर इसके लिए दबाव बनाते हैं; उदाहरण के तौर पर पेरिस जलवायु सम्मेलन से अमेरिका जैसा बड़ा उत्सर्जक पीछे हट गया है जिसके कारण पर्यावरण सुरक्षा का प्रयास और असफल होता नजर आ रहा है। यदि यह देश यह स्वीकार लें कि इनके द्वारा अत्यधिक उत्सर्जन किया जा रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

अंत में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए यदि सच्चे मन से प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, चाहे इसके लिए कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन जब तक गलतियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की निष्ठा साथ-साथ उपस्थित नहीं होगी, सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। यह दोनों पहलू एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों का साथ में कार्य करना आवश्यक है, यदि इनमें से कोई एक और अक्रियाशील हो और दूसरा चाहे जितना ही मजबूत क्यों न हो गाड़ी का चलना असंभव है।